Updated on 20 August, 2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश

(यह सामान्य निर्देश मात्र हैं, किसी विशिष्ट भर्ती / परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन के प्रावधान ही लागू होंगे)

क्र.सं.		विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		2–8
	1.1	आवेदन प्रक्रिया	2–5
	1.2	एकबारीय पंजीयन शुल्क	5–6
	1.3	प्रवेश–पत्र	6
	1.4	अन्तिम दिनांक व समय	6
	1.5	परीक्षा का स्थान एवं माह	6
	1.6	रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रक्रिया	7
	1.7	ऑनलाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया	7–8
2.	पद की अर्हता, वेतनमान एवं अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		9–12
	2.1	शैक्षणिक योग्यता	9
	2.2	अनुभव	9
	2.3	वेतन व पेंशन	9
	2.4	आयु गणना संबंधी सामान्य नियम	9–11
	2.5	राष्ट्रीयता	11
	2.6	नियुक्ति के लिए अयोग्यता	11–12
3.	वर्ग विशेष (श्रेणी) में आरक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		13–23
	3.1	लम्बवत् आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान	13
	3.2	क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान	13–14
	3.3	भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान	14–16
	3.4	राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान	16
	3.5	निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधान	17
	3.6	उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान	18
	3.7	प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश	18–21
	3.8	आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान	21–22
	3.9	अन्य सूचना	22
4.	परीक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		23–24
	4.1	परीक्षा का स्वरूप व पाठ्यक्रम	23
	4.2	प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी प्रावधान	23–24
	4.3	अभ्यर्थी हेतु प्रश्न पत्र पर ऑनलाईन आपत्ति का प्रपत्र	24
5.	परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		25–39
	5.1	परीक्षा केन्द्र में प्रवेश, ड्रेस कोड व अन्य महत्वपूर्ण निर्देश	25–27
	5.2	ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में दिशा निर्देश	27
	5.3	वस्तुपरक परीक्षा (Objective Type) हेतु निर्देश	27–28
	5.4	वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश	28–29
	5.5	श्रुतलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देश	30–37
	5.6	अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देश	38–39
6.	विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		40
7.	दस्तावेज सत्यापन / काउन्सिलिंग संबंधी आवश्यक सामान्य दिशा–निर्देश		41–42
8.	परिणाम व अभिस्तावना संबंधी सामान्य जानकारी		43
9.	आरक्षित सूची लागू करने संबंधी दिशा निर्देश		44
10.	प्राथमिकता क्रम भरने संबंधी सामान्य जानकारी		45
11.	विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र व भरने संबंधी सामान्य निर्देश		46–55
12.	Police Attestation Form (सत्यापन प्रपत्र)		56–59

1. आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

1.1 आवेदन प्रक्रिया :–

1. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उस पद हेतु विज्ञापन में उल्लिखित शर्तो के अनुसार वांछित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता/योग्यता एवं अनुभव धारित है। वांछित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव नहीं होते हुए भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के कारण आयोग को भर्ती परीक्षा आयोजन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। **अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।**
2. आयोग किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राज्य/अधीनस्थ सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा–आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ **संबद्ध सेवा नियमों** व **राजकीय आदेशों** में विस्तृत विवरण देख लेवें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं। साथ ही आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत किये गये ऐसे प्रश्नात्मक/परामर्शात्मक प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया जाएगा।
3. आवेदन आयोग की वेबसाइट पर केवल **Online** माध्यम से लिये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर **Apply Online** से एस.एस.ओ (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर **Recruitment Portal** सर्विस का चयन करना होगा।
4. **Recruitment Portal** पर अभ्यर्थी को एक बार **One Time Registration (OTR)** प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थी को एक विशिष्ट OTR नम्बर मिलेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात् ही अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।
5. अभ्यर्थियों को **One Time Registration (OTR)** करते समय एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा। इसके पश्चात् ही अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरें। **शैक्षणिक योग्यता व अनुभव इन्द्राज करने के उपरांत इसकी पुष्टि के लिये अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर OTP प्रेषित किया जायेगा जिसकी पुष्टि होने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की शेष प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये आगे बढ़ पायेगा।**
6. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।
7. अभ्यर्थियों को उक्त पंजीयन शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
8. ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी Apply Online पर क्लिक करें और उसके बाद चरणबद्ध रूप में निर्धारित आईकन को क्लिक कर और सूचना भरते हुए आवेदन पत्र Submit करें। ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना असत्य, गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं। आयोग द्वारा हाथ से भरे गए आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
9. अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि आयोग उक्त प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के सहित आपसे भविष्य में मांग सकता है।
10. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक्–पृथक् आवेदन करना होगा। यदि किन्हीं दो या अधिक पदों की एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है तो सेवा प्राथमिकता क्रम भरना होगा।
11. ऑनलाईन आवेदन के अन्तर्गत कुछ प्रविष्टियां अनिवार्य हैं अर्थात् उनके फील्ड मेंडेट्री हैं, ऐसी स्थिति में बिना उस प्रविष्टि को भरे फॉर्म सबमिट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रविष्टियों के अन्तर्गत एक क्रम का नियम लागू किया हुआ है। आपवादिक स्थितियों में एक नोशनल डाटा भर देंवे अथवा “NOT APPLICABLE” भर देंवे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत किसी संस्था विशेष के नियमानुसार स्नातक की योग्यता तो अर्जित कर ली जाती है किन्तु उसके लिए सीनियर सैकण्डरी/सैकण्डरी की योग्यता उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होता या फिर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था विशेष के नियमानुसार उच्चतर योग्यता तो पहले अर्जित कर लें और

निम्नतर योग्यता बाद में अर्जित करें। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन भरने के लिए एक नोशनल डाटा भर देंवे और उसका प्रिंट आउट लेकर आयोग को यह समस्त बिन्दु स्पष्ट करते हुए साक्ष्य सहित पृथक् से लिखित प्रार्थना पत्र भेज दें ताकि आवेदन प्रक्रिया के नियमों में उसकी स्थिति आपवादिक होने के कारण उसके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई नोशनल प्रविष्टि से संबंधित संशोधन आयोग द्वारा किया जावे। बिना इस अतिरिक्त लिखित प्रार्थना पत्र या सूचना के त्रुटि का दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा।

12. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्पष्ट लाईव (Live) फोटो अपलोड करें क्योंकि यही फोटो आपके प्रवेश पत्र (Admission Card) पर प्रिंट होगी एवं अस्पष्ट होने पर परीक्षा केन्द्र पर आपकी पहचान उजागर होने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इस कारण लाईव फोटो पूर्णतया स्पष्ट एवं पहचान योग्य होना आवश्यक है।
13. **ऑनलाईन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात् इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर** OTP **प्रेषित किया जायेगा जिसकी पुष्टि किये जाने पर** Application No. Generate **होगी।** Application No. Generate **होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जायेगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।**

नोट :–

आयोग में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने स्थायी मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. सही–सही भरें क्योंकि उक्त मोबाइल एवं ई–मेल पर ही आवेदन एवं परीक्षा संबंधित एस.एम.एस/ई–मेल आयोग द्वारा भिजवाए जाएंगे।

विस्तृत आवेदन प्रक्रिया :–

आयोग द्वारा आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र अथवा स्वयं के स्तर से उपलब्ध ऑनलाईन भुगतान सुविधा के माध्यम से भरा जा सकता है। आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन लिये जाने हेतु **One Time Registration (OTR) प्रणाली अनिवार्य की गई है। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नम्बर/एसएसओ आईडी प्रोफाईल का उपयोग कर One Time Registration (OTR) कर सकता है। One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी को नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग स्तर पर किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवें।**

(क) **ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया :**

ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर **Apply Online** पर Click करेगा। इसके पश्चात् ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक को एस.एस.ओ पोर्टल पर Login कर डेशबोर्ड से आर.पी.एस.सी. के लिए ई–मित्र सर्विस लिंक का चयन करना होगा एवं संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply online पर Click करने पर लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं Password से Login कर **Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करेंगे।** जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं हैं वे पहले स्वयं को https://sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत करेंगे। पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी के SSO ID एवं Password से Login **कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करेंगे। One Time Registration करने के पश्चात्** जिस पद के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है, उस भर्ती परीक्षा के सामने Apply online पर Click कर पद से संबंधित सम्पूर्ण विवरण का इन्द्राज करेंगे। **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाईन आवेदन करें।** ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की **गहनता से जांच** करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक, अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को

पुनः उसके आवेदन का Application preview Page दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्णतया सही हैं तथा सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित शुल्क जो ई–मित्र सेवा लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, को अभ्यर्थी द्वारा ई–मित्र सेवा प्रदाता को देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने के बाद भी आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। विज्ञप्ति संबंधी जिज्ञासाओं (योग्यता संबंधी) की जानकारी के लिये अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाईन नंबर 0145-2635200/212 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन संबंधी तकनीकी समस्याओं के लिये अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट पोर्टल के हेल्पलाईन नम्बर 9352323625/7340557555 अथवा recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं।

(ख) **स्वयं के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया :**

अभ्यर्थी को सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर **Apply Online** पर Click कर अथवा **एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा।** जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है, वे पहले स्वयं को https://sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत करेंगे। पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी के SSO ID एवं Password से Login **कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करेंगे। One Time Registration करने के पश्चात्** जिस पद के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है, उस भर्ती परीक्षा के सामने Apply online पर Click कर पद से संबंधित सम्पूर्ण विवरण का इन्द्राज करेंगे। **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाईन आवेदन करें।** स्वयं द्वारा भरे हुए आवेदन की अभ्यर्थी **गहनता से जांच** करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी स्वयं त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः उसके आवेदन का Application preview Page देखकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। **आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद Application Number Generate होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा।** यदि आवेदन Submit करने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। उक्त प्रक्रिया के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रख लेवें ताकि आयोग द्वारा चाहे जाने पर आप इसकी फोटो प्रति उपलब्ध करवा सकें।

(ग) हाथ से भरे गये/ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

नोटः–

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व आधार कार्ड में दर्ज विवरण (स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग आदि)/प्रविष्टियों की समस्त सूचनाओं से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं एवं आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग आदि शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकितानुसार ही है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
2. यहां यह उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी का OTR Verify होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन के तहत् अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म दिनांक, एवं लिंग (जेन्डर) संबंधी संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति आयोग यदि ऑनलाईन उपलब्ध कराता है, तो ही दी जायेगी।**
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंवे।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. **आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।**

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देशः

धुंधली (blurred) लाईव फोटो अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिरूपण (Impersonation) की अवधारणा की जा सकती है। अतः लाईव फोटो अपलोड करने के संबंध में निम्न दिशानिर्देश की पालना की जावे :–

1. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा** एवं ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् की फोटो को परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें। यही फोटो काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र हेतु भी उपयोग में ली जायेगी। अन्य/असमान फोटो स्वीकार्य नहीं होगी। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
2. फोटो का परिप्रेक्ष्य (background) सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए।
3. फोटो में आवेदक का चेहरा स्पष्ट उजागर होना चाहिए एवं फोटो के कुल क्षेत्रफल का न्यनूतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल चेहरे का होना चाहिए।
4. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया अथवा बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। फोटो में आवेदक का सिर, नाक, आँखे एवं ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए ताकि उसकी पहचान स्पष्ट रूप से उजागर हो। ***साईड (तिरछी) फोटो स्वीकार्य नहीं होगी।***
5. लाईव फोटो अपलोड के करने के लिए 05 सेकंड के timer के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी पलक दो–तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बंद आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
6. फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखे। यदि आवेदक चश्मा पहनता है, तो फोटो चश्मे के साथ ही ले परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्में पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर न हो।
7. अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि लाईव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि (Enlightened Background) के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकारमय (Blurred/Dark) नहीं है।
8. जब तक फोटो स्पष्ट न हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन पश्चात् Final Submit किये जाने के उपरांत अवसर देय नहीं होगा।

स्कैन्ड हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा–निर्देश–

1. आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेमी x 2 सेमी के एक आयताकार बॉक्स में गहरे नीले अथवा काले स्याही की कलम से हस्ताक्षर करें।
2. बॉक्स में हस्ताक्षर करने के पश्चात हस्ताक्षर स्कैन करें, तत्पश्चात स्कैन की गई छवि अपलोड करें।
3. हस्ताक्षर केवल जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) प्रारूप में होना चाहिए जिसमें न्यूनतम पिक्सेल मान 280 x 80 और अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 हो ।
4. स्कैन्ड हस्ताक्षर फाइल का आकार न्यनूतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB होना चाहिए।
5. **अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र में लाईव फोटो एवं स्कैण्ड हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् अपने बायें** हाथ की **अगूंठा निशानी की स्कैन्ड फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षा आयोजन के दौरान अभिजागर द्वारा परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पुनः लगाई गई अंगुठा निशानी का मिलान किया जा सके।**

1.2 एकबारीय पंजीयन शुल्क :–

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

i.	सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर /अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी हेतु–	रूपये 600/–
ii.	आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/ अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी हेतु –	रूपये 400/–
iii.	दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु –	रूपये 400/–

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र से पूर्व जिन अभ्यर्थियों के द्वारा वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एस.एस.ओ. आई.डी. द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवावें।

एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जिसकी शर्ते निम्नलिखित है:–

(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रेल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750/– रूपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।

(iii)एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।

(iv)पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रूपये 1500/– का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी. आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

टिप्पणी–यदि कोई आवेदक किन्ही कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने की स्थिति में उसे परीक्षा में ओ.टी.आर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

1.3 प्रवेश–पत्र:–

आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जायेगा। सामान्यतया परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त और परीक्षा से एक सप्ताह/तीन दिवस पूर्व (जैसा भी आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।) वेबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाते हैं, जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं **जन्म दिनांक** अंकित कर इसे डाउनलोड करें। इसका स्वच्छ प्रिंट लेकर ही परीक्षा में उपस्थित होंवे। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी को **मोबाइल** पर SMS के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। **अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर वही फोटो चस्पा करे जो ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् की हो अन्यथा छद्मरूपण (Impersonation) की धारणा की जाएगी।** आधार कार्ड की रंगीन प्रति के साथ ही परीक्षा देने हेतु परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे, अन्यथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1.4 अन्तिम दिनांक व समय :–

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक को **रात्रि 12:00 बजे तक** आवेदन भरा जा सकता है। **इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना ही समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

1.5 परीक्षा का स्थान एवं माह : –

ऑनलाईन आवेदनों की प्राप्त संख्या के आधार पर परीक्षा राज्य के सभी जिला/उपखण्ड स्तर/संभागीय मुख्यालयों/जयपुर एवं अजमेर में ली जा सकती है। परीक्षा की तिथि व विस्तृत कार्यक्रम की सूचना सामान्यतया आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत वेबसाइट व प्रेस नोट के माध्यम से जारी की जाती है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

1.6 रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रक्रिया :–

आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में **रिक्तियों की संख्या** व **आरक्षित पदों का वर्गीकरण** शासन/विभाग से प्राप्त अर्थना पर आधारित होता है। यदि किसी विज्ञापन में आरक्षित पदों का स्पष्ट वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्य सरकार से रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाता है।

1.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया :–

ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन** निम्नानुसार कर सकता है, **तथापि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव विज्ञापन में उल्लेखित तिथि तक अर्जित होना आवश्यक है :–**

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित **शुल्क रूपये 500/– का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में** Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. **आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।**
   नोट :– विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद की डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।
3. **One Time Registration लागू होने के कारण ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।**
4. किसी भी प्रकार के संशोधन की स्वीकृति के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 500/– निर्धारित है जिसका भुगतान ऑनलाईन किया जाना है।
6. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

टिप्पणी:– यहां यह ध्यान दें कि असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

विशेष नोट :–

(1) अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर ही परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना एस.एम.एस./ई–मेल के माध्यम से भिजवायी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर बदलने/बन्द होने/मोबाईल नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) जब तक कि विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर उल्लेख न हो, अभ्यर्थी को एक ही विज्ञापन के तहत् एक से अधिक विषय/पदों हेतु अलग से पृथक्–पृथक् आवेदन करना होगा ।

(3) आयोग द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन नहीं किया जायेगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं ऑनलाईन संशोधन की दिनांक के पश्चात् कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

(4) अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना मय शुल्क आयोग को शीघ्र भेजें।

(5) **राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा भर्ती आवेदन के लिए One Time Registration अनिवार्य कर दिया गया है। OTR के तहत् आधार कार्ड/SSO ID में उल्लिखित प्रविष्टियां यथा नाम, पिता का नाम, लिंग व जन्म तिथि स्वतः आवेदन में प्रविष्ट (Fetch) हो जाती है। अतः OTR पंजीयन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त**

प्रविष्टियों का विवरण शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अंकतालिकाओं में दर्ज विवरण से मेल खाता है। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।

(6) **आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में फोटो को अपडेट कर लें** ताकि परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में छपी फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जा सके।

2. पद की अर्हता, परिवीक्षा, वेतनमान एवं नियुक्ति के लिए अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

2.1 शैक्षणिक योग्यता व अनुभवः– आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अर्जित होना चाहिए।

- जिन सेवा नियमों में शैक्षणिक योग्यता के पाठयक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है/सम्मिलित हो रहा है, जैसा प्रावधान विद्यमान नहीं होता है, वहाँ वांछित योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित होना आवश्यक है।
- परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हो चुका है/सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा,
  - किन्तु उसे जहां चयन दो चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व (यथा RAS-RTS एवं A.En. Exam)
  - जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, (यथा सहायक आचार्य–कॉलेज शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग)
  - जहां चयन केवल लिखित परीक्षा, या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व (केवल लिखित परीक्षा वाली भर्ती यथा प्राध्यापक–स्कूल शिक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक/केवल साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की भर्ती) **अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।**

नोटः–

i. **कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र दिनांक 14.03.2002 के अनुसार जिन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ अनुभव भी वांछित/निर्धारित है, वहां शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, वाली उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होगी तथा उक्त पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक ही वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है।**

ii. यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उतीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत भरे जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करे तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र–ख प्रमाणित करवाकर संलग्न करे।

iii. **ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए तृतीय वर्ष में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी/जहां पर 6 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी/जहां पर 8 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां सातवें सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को ही उक्त शर्तानुसार योग्य माना जायेगा** तथा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के लिए स्नातकोत्तर उतरार्द्ध (Final) में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी/ जहां पर 4 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां **तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को ही उक्त शर्तानुसार योग्य माना जायेगा।**

2.2 अनुभवः– यदि किसी परीक्षा में अनुभव या प्रशिक्षण निर्धारित है, तो उसे संबद्ध शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के उपरांत का होने पर ही मान्य किया जाता है।

2.3 वेतन, पेंशन संबंधी प्रावधान :– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षाणार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाए और पद के विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

2.4 आयु गणना संबंधी सामान्य नियमः– सामान्यतया संबंधित सेवा नियम में अधीनस्थ सेवा के पदों हेतु न्यूनतम आयु 18/20 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है तथा राज्य सेवा के पदों हेतु न्यूनतम आयु 20/21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। उक्त अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाती है जिन्हें विज्ञापन में प्रकाशित किया जाता है।

आयु की गणना संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् आने वाली 1 जनवरी/1 जुलाई को आधार मानकर की जाती है। कॉलेज शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के वर्ष की 1 जुलाई को आधार मानकर की जाती है। राज्य के विभिन्न वर्गों को देय वर्गवार छूट के सामान्य प्रावधान निम्नानुसार है :–

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	**अभ्यर्थियों का वर्ग**	**अधिकतम आयु सीमा में देय छूट**
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के पुरूष	5 वर्ष
2.	सामान्य वर्ग की महिला	5 वर्ष
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) की महिला	10 वर्ष
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	समस्त श्रेणी के विशेष योग्यजन (विशेष योग्यजन को अपने मूल वर्ग की छूट दिये जाने के अतिरिक्त देय)	05 वर्ष

आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। दृष्टांत स्वरूप सूची निम्नानुसार है :–

1	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत कार्मिक	अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
2	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक को ऊपरी आयु सीमा मे शिथिलीकरण देय होगा।	(क) राज्य सेवाओं के लिए – 10 वर्ष परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। (ख) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवाओं के लिए – 15 वर्ष (ग) समस्त अन्य सेवाओं या पदों के लिए – तीन वर्ष की वृद्धि सहित सैन्य सेवाकाल के बराबर, "परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।"
3	रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष
4	संबंधित सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे	2 अवसर तक
5	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	यदि लागू हो तो अंकित करें।

6	एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर
7	पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
8	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
9	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
10	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे	कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर
11	चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों हेतु जहां **डी.एम.** या **एम.सी.एच.** शैक्षणिक योग्यता है	अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष (राज्य सरकार के संस्थाई कर्मचारियों के संबंध में 45 वर्ष)

नोटः–

1. आयु संबंधी उक्त नियम लागू होंगे या नहीं, इसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. कतिपय पदों या परीक्षा विशेष के लिए राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। (यह छूट सामान्यतः आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व तक ही छूट संबंधी प्रावधान संबंधित सेवा नियम में विहित होने पर मान्य होगी।)
3. आयु सीमा में छूट के उपर्युक्त समस्त वर्णित प्रावधान (विशेष योग्यजन को आयु सीमा में देय छूट संबंधी प्रावधान को छोड़कर) असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। (यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य होगी।)
5. यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते हैं, उस आशय का, यथा निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा, राजस्थान सरकार के संस्थाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/EWS आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र धारित होना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
6. आयु के संबंध में आयोग हाई स्कूल/सैकण्डरी/मैट्रिक के प्रमाण–पत्र (RSR में विहित प्रावधानानुसार) में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं करता है।

2.5 आवेदक की राष्ट्रीयता :–

(क) भारत का नागरिक या **(ख)** नेपाल या **(ग)** भूटान का प्रजाजन या **(घ)** दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या **(ड.)** स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारतीय मूल व्यक्ति।

नोटः– वर्ग **(ख)**, **(ग)**, **(घ)** व **(ड.)** से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.6 नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. कोई पुरूष या महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे।
2. कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जहां सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि

ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान न कर दे।

3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

   स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

   परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्‌वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां सतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा

   परन्तु यह भी कि इस उप नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

   परन्तु यह भी के किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

   परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

   परन्तु यह भी कि इस उपनियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

6. **यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को RPSC/UPSC/अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिये भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कार आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं/साक्षात्कार में RPSC/UPSC/अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के लिये अयोग्य माना जायेगा।**

7. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में विवर्जित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके विवर्जित (Debar) होने की अवधि, ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, आवेदन करने पर अयोग्य माना जायेगा।

8. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।

9. किसी आपराधिक प्रकरण में सक्षम न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर ऐसी दोष सिद्धि के प्रभाव में रहने के दौरान नियुक्ति हेतु अपात्र माना जायेगा। अतः ऐसे प्रकरण का विवरण आवश्यक रूप से दर्ज/प्रविष्ट करें।

10. आवेदक द्वारा जानबूझ कर असत्य दस्तावेज/असत्य तथ्य प्रस्तुत करने अथवा तथ्य छिपाये जाकर आवेदन करने पर उसे अपात्र घोषित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3. वर्ग (श्रेणी) विशेष में आरक्षण संबंधी निर्देश :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अभ्यर्थियों से उनका वर्ग/श्रेणी एवं अन्य सूचनाएं भरवाई जाती हैं, जिनका परीक्षा के परिणाम में आरक्षण या वरीयता निर्धारण के रूप में प्रभाव पड़ता है। **यदि आवेदक अपने मूल वर्ग से भिन्न अन्य वर्ग में आवेदन करता है एवं संशोधन तिथि तक (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस तक एवं परीक्षा आयोजन से पूर्व द्वितीय संशोधन के लिये उपलब्ध करवाई गई अवधि तक) उसने आवेदित श्रेणी में संशोधन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में इसे अधिकारों का परित्याग माना जायेगा। तत्पश्चात् संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।** अनेक अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपने वर्ग (श्रेणी) को अंकित करने में त्रुटि कर जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी एवं आयोग दोनों स्तरों पर परिणाम में विसंगति उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में कतिपय सामान्य त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें :–

3.1 लम्बवत् आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसे– सामाजिक वर्ग संबंधी आरक्षण) – जाति सम्बन्धी आरक्षण का अंकन करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि **किसी की भी जाति सदैव पिता की जाति के आधार पर तय होती है।** विशेषतः अभ्यर्थी के महिला होने की स्थिति में यदि वह विवाहित है, तो उसका जातिगत आरक्षण उसके पति की जाति के आधार पर न होकर पिता की जाति के आधार पर तय होती है। **अतः एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/EWS वर्ग की महिला अभ्यर्थी को पिता के नाम से जारी, जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उसे उस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।** साथ ही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा DBSAW No 1116/17 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार **राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में ओबीसी/एससी/एसटी/एमबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।** ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में माना (परिगणित) जायेगा। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अभ्यर्थी से आशय निम्न प्रकार से है :–

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है,

(ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी हैं, या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

उक्त शर्तों की पालना करने पर ही अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र हेतु देय आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।''

नोट :– जनजातीय उप योजना क्षेत्र (TSP) एक ऐसा योजना क्षेत्र है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र व अन्य जनजातीय उप योजना क्षेत्र सम्मिलित हैं, परन्तु आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही देय है जो कि जनजातीय उप योजना क्षेत्र (TSP) का ही भाग है। अतः जनजातीय उप योजना क्षेत्र (TSP) का प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिये अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के आरक्षण लाभ हेतु अनुसूचित क्षेत्र का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

3.2 क्षैतिज/दण्डवत् आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसेः–विधवा, विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा, निःशक्तजन) :–

– ''महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण* – सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ग–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या **इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा।** पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

*** पुलिस अधीनस्थ सेवा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं के कुछ पदों के अतिरिक्त।**

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

– माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा **D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017** आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार–कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण–पत्र मय 500/– रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

– विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

– विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3 भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधानः – The Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है :–

(क) **भूतपूर्व सैनिक** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की थल सेना, जलसेना, वायु सेना के किसी भी रैंक में योद्धक या योद्धक–भिन्न के रूप में नियमित सेवा की हो और

(i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो, या

(ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य निर्योग्यता पेन्शन प्रदान की गई हो, या

(iii) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा, संस्थापन में कटौती के परिणाम स्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या

(iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवान्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवा नियुक्ति उपदान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक, थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है, अर्थात् :–

(a) लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक,

(b) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति,

(c) वीरता पुरस्कार विजेता, या

(v) भूतपूर्व रंगरूट (Ex-recruits) जो चिकित्सीय आधार पर बोर्ड आउट किये गये हों या निर्मुक्त किये गये हों और जिन्हें चिकित्सीय/निर्योग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो।

विशेष नोट :–

1. **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित**

रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।

2. ''**कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाऐं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।**''

इस संबंध में निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधानों का भी ध्यान रखें–

1. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी होना।
2. **सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण** – कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है यदि उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

   यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **नोट :– ''कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से की जायेगी।''**
3. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने भर्ती में आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा।

   परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

   परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

   परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे **राजस्थान सरकार के अधीन** नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा

   स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए **राजस्थान सरकार के अधीन** पद से, ऐसे पद अभिप्रेत है जो निम्न के अधीन हैं, –

   (क) राज्य सरकार के किसी विभाग या उससे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय,

   (ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई राज्य लोक उपक्रम उद्यम,

   (ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय जिसका व्यय राज्य की संचित निधि से किया जाता हो, या

   (घ) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे जिस नाम से भी कहा जाये), या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई निकाय।
4. भूतपूर्व सैनिक को अन्य लोक सेवकों को सामान्य स्थिति में अनुज्ञात आयु आदि की शिथिलता जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा अर्थात् राजस्थान सिविल **सेवाएं** (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो

शिथिलता जो अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

5. **यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी विहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।**
6. शासन की अधिसूचना दिनांक 26.08.2013 के अनुसार अधीनस्थ या लिपिक वर्गीय सेवा पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्ति हेतु किसी मैट्रिक्यूलेट भूतपूर्व सैनिक (इस शब्द में कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसने भारतीय थल सेना शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र अथवा जल सेना या वायु सेना में तत्समान प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, सम्मिलित है), जिसने संघ के सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून (Not Less than) की सेवा की है, को उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जायेगा जिनके लिए विहित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता स्नातक है और जहां, –
   (क) तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है, या
   (ख) यद्यपि गैर तकनीकी व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यकता के रूप में विहित है, फिर भी नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि भूतपूर्व सैनिक से, लघु अवधि के लिए कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करके पद के कर्त्तव्यों का अनुपालन करना अपेक्षित है।
7. शासन की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा।

3.4 राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधानः – विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान राज्य के सेवारत कर्मचारियों आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जिनमें कुछ में केवल आयु संबंधी शिथिलता दी जाती है और कुछ में क्षैतिज आरक्षण। सामान्यतया राजकीय कर्मचारी के रूप में सेवा नियमों के अन्तर्गत आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान होता है व उसके अलग–अलग उपवर्गों जैसे– अराजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी अथवा विभागीय कर्मचारी होने पर आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। इस प्रकार एक कार्मिक को उक्त में से दोनों अथवा किसी एक लाभ का पात्र हो सकता है। यह लाभ भी सेवा नियम के अध्यधीन होता है। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन में अंकित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें। इस संबंध में विशेषतः दो बिन्दु ध्यान में रखें –

1. उक्त लाभ **केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त है,** अन्य को नहीं, अर्थात् अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जाएंगे और वे इस कॉलम को न भरें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह लाभ केवल स्थाई कर्मचारियों के लिए है। अस्थाई, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त कार्मिक इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
2. वस्तुतः अधिकांश परीक्षाओं में **राज्य कर्मचारी** के रूप में केवल **आयु सीमा में छूट** का प्रावधान है और **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी होने** पर ही उसे अतिरिक्त रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** राज्य कर्मचारी तो होता है किन्तु प्रत्येक राज्य कर्मचारी **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** नहीं होता है। जो अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी के साथ–साथ **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** हैं, केवल वे ही संबंधित कॉलम को भरें अन्य अभ्यर्थी नहीं। **विभागीय कर्मचारी** के अन्तर्गत भी केवल उसी विभाग के अभ्यर्थी पात्र माने जाते हैं, जिनके लिए संबंधित सेवा नियमों में आरक्षण का प्रावधान है। **विभागीय कर्मचारी (DC) –** आर.ए.एस. परीक्षा के जारी विज्ञापन/शुद्धि पत्र/पदों के चार्ट में अधीनस्थ सेवाओं में जिन विभागों के डीसी श्रेणी के पद आरक्षित दर्शाये जाते हैं, केवल उन्ही विभागों के निम्नांकित मंत्रालयिक कर्मचारी डीसी वर्ग हेतु पात्र होंगेः–

1. Establishment Officer 2. Assistant Registrar, Board of Revenue 3. Administrative Office 4. Assistant Registrar, Board of Technical Education 5. Supervisor, State Insurance and General Provident Fund Department 6. Law Editor 7. Additional Administrative Officer 8. Assistant Administrative Officer 9. Senior Assistant 10. Junior Assistant/Telephone Operator 11. Senior Private Secretary 12. Private Secretary 13. Additional Private Secretary 14. Personal Assistant Grade-I 15. Personal Assistant Grade-II.

3.5 निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधानः – विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के अंतर्गत परिगणना **The Rajasthan Rights of persons with Disabilities Rules, 2018** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन के प्रत्येक उपवर्ग में भी निःशक्तता की अलग–अलग श्रेणियां हो सकती हैं, जो आरक्षण की बजाए वस्तुतः उस पद के दायित्वों का निवर्हन करने में उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी उपवर्ग में ऐसी श्रेणी पृथक् से निर्दिष्ट हो, तो उस उपवर्ग में भी केवल उस विशेष श्रेणी निःशक्तता वाले अभ्यर्थी ही चयन किये जाएंगे, अन्य नहीं।

(i) राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में दिव्यांगजन की निम्नलिखित 4 श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है :–

(a) Blindness and low vision;
(b) Deaf and hard of hearing;
(c) Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, acid attack victims and muscular dystrophy;
(d) (1) Autism, intellectual disability, Specific learning disability and mental illness;
(2) Multiple disabilities* from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the post identified for each disablilities.

रिक्तयों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

(ii) **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र :– निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र** U.D.I.D./**स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।** इस श्रेणी में आरक्षण हेतु **केवल स्थाई निःशक्तता को ही मान्य** किया जाता है, अस्थाई निःशक्तता को नहीं। दिव्यांगजन प्रमाण में **न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता** होने पर ही इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है।

(iii) **रिक्तियों का अग्रेषण एवं अन्तः श्रेणी परिवर्तन :–** राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.12.2021 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

(iv) जहां कोई पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणियां या एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो तो उस पद की भर्ती में दिव्यांगजन के लिए रिक्ति आरक्षित नहीं होने पर भी बिना आरक्षण का लाभ लिए स्वयं की योग्यता पर चयनित होने की पात्रता रखने पर विशेष योग्यजन को उस पद के लिए प्रतियोगिता और चयन से वंचित नहीं किया जा सकता है। मापदण्डों में शिथिलन के बिना स्वयं की योग्यता से चयनित ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रोस्टर में अनारक्षित बिन्दुओं के विरूद्ध दर्शाया जायेगा तथा भविष्य में भर्ती के समय विशेष योग्यजन के लिए उपलब्ध होने वाली आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

(v) **दिव्यांगजन को देय रियायतें :–**

(अ) आयु सीमा :– सीधी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलन देय होगा। आयु सीमा में यह शिथिलन नियमों में विभिन्न श्रेणियों में लंबवत् व क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को देय शिथिलन के अतिरिक्त होगा।

(ब) सेवा नियमों में जहाँ कहीं भी किसी भी प्रश्न पत्र या समग्र के लिए न्यूनतम अर्हता/उत्तीर्णांक निर्धारित है, दिव्यांगजन को उसमें 5 प्रतिशत की रियायत **देय** होगी।

3.6 उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :— कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए निश्चित वर्ष में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष—विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा जिससे वे खिलाड़ी संबंधित है। **उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास उत्कृष्ट खिलाडी होने संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व का ही अर्जित होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात्, बनाया/प्राप्त किया हुआ उत्कृष्ट खिलाडी संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।** इस स्थिति में अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा व ऑनलाईन संशोधन की अंतिम दिनांक के पश्चात् उसकी श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कार्मिक (क—ग्रुप—2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31) डीओपी/ए—II/84 दिनांक 21.11.2019 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ी'' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान के मूल निवासी है और जिन्होंने, —

(i) उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,

सारणी

क्र.सं.	अन्तरराष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम
1	2	3
1.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में माने जाते हैं।
4.	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तरराष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप
6.	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7.	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8.	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

3.7 प्रमाण पत्र संबंधी निर्देशः—(आवेदक परीक्षा से पूर्व आवेदन—पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण—पत्र नहीं भेजें, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से ऐसी माँग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण—पत्र को वापस लौटाने का दायित्व आयोग का नहीं होगा।)

आवेदक को वर्ग विशेष (विशेष योग्यजन/राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि) का लाभ कतिपय शर्तों के अन्तर्गत देय होता है।

यद्यपि इसके प्रमाण में आवेदक से वर्ग/श्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ मांगे जाते हैं, किन्तु अभ्यर्थी आवेदन के समय ही विभिन्न प्रमाण–पत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वस्तुस्थिति सुनिश्चित करें :–

जाति प्रमाण–पत्र व मूल–निवास प्रमाण–पत्र :

1. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग* के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

   * Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।

   राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में उक्त तिथि के पश्चात् जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे। इससे पूर्व के तत्समय जारी किये गये प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार जारी किये हुए होने आवश्यक हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता या दोनों की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

   अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। **पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।** राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार एक बार उक्त Income & Assets Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Assets Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिए किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

6. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी को दिया जाता है, अन्य अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करें।
7. विवाहित महिला अभ्यर्थी को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। चूंकि किसी अभ्यर्थी की जाति विवाह की बजाए पैतृक रूप से निर्धारित होती है। अतः पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।
8. राजस्थान राज्य के पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **Online Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग में नॉन–क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं, वे भी ध्यान दें कि उनका प्रमाणपत्र–
   - **ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ** हो और आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी उस वर्ग में आता हो।
   - नियमानुसार पिता/माता अथवा दोनों की आय के आधार पर जारी हो।
   - सक्षम अधिकारी द्वारा **निर्धारित प्रपत्र** पर जारी किया हुआ हो।
   क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रीमीलेयर मे नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावें। ऐसा अधिकतम दो वर्ष तक किया जा सकता है।
9. यदि अभ्यर्थी **अनुसूचित क्षेत्र** (Scheduled Area) **क्षेत्र की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति** से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित कर लेंवे कि वस्तुतः वह इसी क्षेत्र का मूल निवासी है। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अभ्यर्थी का उक्त अधिसूचना के बाद का व ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया गया प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के अभ्यर्थी से आशय निम्न प्रकार से है :–
   (क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) का सद्भावी निवासी है,
   (ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी हैं, या
   (ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
   उक्त शर्तों की पालना करने पर ही अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) हेतु देय आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।''
10. आवेदक जो राजस्थान राज्य की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्नांकित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें–
   i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. *(not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)*.
   ii. Chief presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
   iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
   iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
   v. Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadweep Island).
11. **निःशक्तता प्रमाण–पत्र :–** यदि आवेदक निःशक्त व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है तो इसके प्रमाण में उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (निदेशालय, विशेष योग्यजन के परिपत्र दिनांक 16.9.2015 के अनुसार) **40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र** प्रस्तुत करना होगा। **निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।**

12. **अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र :–** यदि अभ्यर्थी कार्यरत हैं/था, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

13. **विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र :–** यदि अभ्यर्थी विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण होना चाहिए। यदि आवेदक का विवाह अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित उसका शपथ पत्र होना चाहिए।

14. **आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र :–** अभ्यर्थी आचरण प्रमाण–पत्र के रूप में अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र होना चाहिए। स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन इसके स्थान पर स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।

15. **आयु का प्रमाण–पत्र :–** आयोग द्वारा हाई स्कूल/सैकण्डरी/मैट्रिक के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म दिनांक (RSR में विहित प्रावधानानुसार) को ही स्वीकार किया जाता है।

16. **सेवारत अभ्यर्थीगण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। अतः आवेदक का दायित्व होगा की वह परीक्षा या साक्षात्कार से पूर्व आवेदन के ही समय अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त कर कर लें, चाहे वे स्थाई हो या अस्थाई। यद्यपि ऑनलाइन आवेदन के समय उनसे ऐसा प्रमाण–पत्र नहीं मांगा जाता, किन्तु चयन होने की स्थिति में या मुख्य परीक्षा के परिणाम/साक्षात्कार से पूर्व उनसे यह प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

17. **एन.सी.सी. प्रशिक्षक व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण हेतु प्रमाण–पत्र :–** कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण को वरीयता देने का प्रावधान है जिसमें योग्यताधारक को **सी–सर्टिफिकेट** धारक होना आवश्यक है।

3.8 आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। परन्तु यदि किसी वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं की जायेगी।

3. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ऐसे पदों को अग्रनीत करने का प्रावधान नहीं है।
4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार (Categorywise) क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, जिसके अन्तर्गत किसी महिला अभ्यर्थी को उसके सम्बंधित प्रवर्ग में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। "राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र दिनांक 13.01.2016 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।" **स्पष्टीकरण** :– किसी वर्ग {अनारक्षित (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग} की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
5. किसी वर्ग {अनारक्षित (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग} के अन्तर्गत महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के लिए जो पद आरक्षित होंगे, उनमें पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
6. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।
8. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए निम्नलिखित प्रावधान होगा :–
   (अ) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग {अनारक्षित (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग} का होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
   (ब) विशेष योग्यजन आवेदक Online Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें लाभ देय नहीं होगा।
   (स) जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

नोट :– विशेष योग्यजन वर्ग में किसी बैंचमार्क श्रेणी में वर्तमान रिक्ति के साथ Backlog के पद सम्मिलित होने पर प्रथमतः इस बैचमार्क श्रेणी के Backlog के पदों को भरा जायेगा तत्पश्चात इस श्रेणी की शेष रिक्ति को भरा जायेगा अर्थात् यदि बैंचमार्क श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो Backolg रिक्ति को अन्तरपरिवर्तन द्वारा भरा जायेगा तथा इसकी शेष रिक्ति को अग्रेषित करेंगे।

3.9 अन्य सूचनाः–

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं :– 0145–2635212 एवं 0145–2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी राज्य स्तरीय एकीकृत कॉल सेंटर (टोल–फ्री) नम्बर 1800–180–6127 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। **समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जावें।**

4. परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी निर्देश :–

4.1 परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप :– सामान्यतः विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व सेवा नियमों में पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्डों के मध्यनजर विषयवार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप तैयार/पुनरीक्षण करवाया जाता है। परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप, जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक व समयावधि निर्धारित होती है, को अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु आयोग की वेबसाईट पर जारी कर दिया जाता है। इसमें कतिपय भर्ती परीक्षाओं में सेवा नियमों के अन्तर्गत ही परीक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है और कतिपय भर्तियों में सेवा नियमों में आयोग द्वारा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रावधान है। अतः अभ्यर्थी विज्ञापन के अतिरिक्त सम्बद्ध सेवा नियमों का भी अध्ययन कर लें। किसी पद हेतु चयन की प्रक्रिया केवल परीक्षा के आधार पर होगी या केवल साक्षात्कार के आधार पर या परीक्षा सह साक्षात्कार के आधार पर, यह भी सेवा नियमों के द्वारा निर्धारित होता है, तदनुसार विज्ञापन में प्रकाशित कर दिया जाता है।

नोटः– आयोग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी का विकल्प परीक्षा की प्रकृति, सम्बद्ध नियमों के प्रावधान तथा आयोग के विवेक के अनुरूप होगा। वस्तुपरक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्र द्विभाषीय या एकभाषीय किसी भी रूप में हो सकता है। वस्तुतः पद की कार्यगत आवश्यकताओं तथा विषय की तकनीकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रश्नपत्र द्विभाषीय होंगे या एकभाषीय। इसी के अनुरूप आयोग द्वारा अभियांत्रिकी और मेडिकल से सम्बन्धित उच्च स्तरीय परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही प्रश्न दिये जाते हैं और कतिपय सामान्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे अध्यापक आदि में केवल हिन्दी माध्यम में प्रश्न पत्र दिये जाते हैं। यह केवल विषय ही नहीं पद की अनिवार्यता को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा के माध्यम का चयन उसे आवश्यक रूप से उस माध्यम में प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु अनुमत नहीं करता, किन्तु सामान्यतया लिखित विवरणात्मक परीक्षाओं में आयोग द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने की अनुमति दी गई होती है, जिसके लिए प्रश्न–पत्र/प्रश्न–पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित दिशा–निर्देशों का समुचित अध्ययन कर लिया जाए। **द्विभाषीय अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी में प्रश्न पत्र/पुस्तिका होने की स्थिति में प्रश्न के हिन्दी व अंग्रेजी विवरण में विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण को सही माना जावेगा।**

4.2 प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्तिः–

1. आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं के आयोजन के उपरांत वेबसाइट पर मॉडल उत्तर कुंजी डालते हुए अभ्यर्थियों से एक ही बार 3 दिवस के भीतर ऑनलाईन आपत्तियाँ माँगी जाती हैं, ताकि उन आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति अपनी राय प्रस्तुत कर सके। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यद्यपि प्रश्नों के सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती जाती है, किन्तु उसमें अपवादस्वरूप प्रश्न–निर्माण, अनुवाद या मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह सकती हैं। आयोग द्वारा परिणाम घोषणा से पूर्व विशेषज्ञों की समिति से प्रश्न पत्र के उक्त बिन्दुओं पर राय ली जाती है और विशेषज्ञों की राय के अनुसार ऐसे प्रश्न जो तथ्यात्मक या अवधारणात्मक रूप में गलत या अस्पष्ट होते हैं, उन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है या आवश्यकतानुसार उत्तर परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्यतया वर्तनी सम्बन्धी अल्प त्रुटियों वाले ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर दी जाती है, जिनमें ऐसी त्रुटि प्रश्न का आशय और भावार्थ समझने में बाधक नहीं होता है।

   आयोग द्वारा लिये गये निर्णय अन्तर्गत उत्तरकुंजियों पर आक्षेप/आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आक्षेप शुल्क <u>**ऑनलाईन**</u> रूपये 100/– जमा करायेगा। उक्त शुल्क ई–मित्र पोर्टल/ई–मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं के अनुमत पेमेंट गेट–वे के माध्यम से ही जमा कराना होगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय तक मानक व प्रमाणिक (Standard & Authentic) साक्ष्य सहित आपत्ति प्रस्तुत कर दें। आपत्तियाँ निर्धारित प्रपत्र में व निर्धारित अवधि में आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी। आपत्तियाँ आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्नपत्र के क्रमानुसार ही स्वीकार की जायेगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेंगी। <u>**आपत्ति को सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को शुल्क का पुनर्भुगतान किया जायेगा।**</u>

2. यद्यपि परीक्षा के प्रश्न पत्र के मुखपृष्ठ में अंकित होता है कि प्रश्न के हिन्दी व अंग्रेजी रूपातंरण में विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध प्रश्न पत्र ही मान्य होगा तथापि विशेष परिस्थिति में आयोग द्वारा अंग्रेजी भाषा

में मुद्रित प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक या गंभीर त्रुटि की स्थिति में हिन्दी भाषा में दिये गये प्रश्न का विवरण भी विचारणीय होगा।

3. प्राप्त आपत्तियों व संलग्न दस्तावेजी प्रमाणों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा उपलब्ध मानक व प्रामाणिक विषय सामग्री तथा निर्धारित पाठ्यक्रम व प्रश्न के व्यापक सन्दर्भ को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण कर अभिमत व निष्कर्ष प्रकट किया जाता है। उक्त विशेषज्ञ अभिमत पर आयोग के सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन के उपरान्त तैयार अन्तिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) के आधार पर परिणाम जारी किया जाता है। विशेषज्ञ समिति के अन्तिम अभिमत पर न तो कोई आपत्ति ली जायेगी एवं न ही आयोग ऐसी आपत्ति को स्वीकार करेगा।

नोट :– अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। डाक या अन्य किसी माध्यम से भेजी गयी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

4.3 अभ्यर्थी हेतु प्रश्न पत्र पर ऑनलाईन आपत्ति का प्रारूप :–

Rajasthan Public Service Commission
Objection Summary Report

Exam Name –
Subject Name –

Set	Que. No.	Total Obje.	Objection Types								Commi-ssion Answer	Candidates Suggested answers and their Count	Details of authentic Proof attached
			All Options are Wrong	More than one Options are Right	Question is Wrong/ Vague	Difference in Hindi & English Version	Out of Syllabus	Question is not Clear	Answer is wrong	Others			
Master Set													

5. परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

5.1 परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश दिये जाने, परीक्षार्थियों हेतु ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण अनुदेशः–

1. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र आवंटन आयोग का विवेकाधिकार है। आयोग के सामान्य व विशेष दिशा– निर्देशों के तहत् सामान्यतः परीक्षा केन्द्र आवंटन कम्प्यूटरीकृत रैण्डम प्रक्रिया से किया जाता है। आयोग केन्द्र परिवर्तन के आवेदन को सामान्यतः स्वीकार नहीं करता है।
2. अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र एवं ऐच्छिक विषय में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा भवन में प्रवेश के लिये परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र व मूल फोटो युक्त पहचान पत्र नित्य अपने साथ लायेंगे। प्रवेश पत्र व मूल फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होने पर उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र पर समस्त सूचनाएँ उसके द्वारा आयोग को सूचित विवरण के अनुरूप यथा रूप से अंकित कर जारी किया गया है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही अंकित समस्त सूचना यथा नाम, पिता का नाम, केटेगरी, जन्म दिनांक एवं ऐच्छिक विषय आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें।
5. किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें एवं यह ध्यान रखें कि उसे किस दिन/सत्र में किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है।
6. ऐसे परीक्षार्थी जो उसी परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत है/कार्मिक हैं, उन्हें इस संबंध में परीक्षा से कम से कम 02 दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को लिखित में सूचना देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नहीं करने पर एवं परीक्षा के दिन ही सूचित करने पर उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
7. **परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/ब्लूटूथ/ पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है।** अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/किताब/पर्ची, मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबन्धित वस्तुएँ यथाः– पर्स, बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य–सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें क्योंकि परीक्षा केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत्** कार्यवाही की जा सकती है।
8. **परीक्षार्थियों हेतु ड्रेस कोडः–** पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी–शर्ट/कुर्ता, पेंट/पायजामा एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैण्ड लगाकर आयेगी। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा।

   परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आयेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।

   गृह विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के परीक्षार्थी कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

   नोटः– सर्दी के मौसम के मद्देनजर परीक्षार्थी को साधारण गर्म कपड़े एवं शूज (Shoes) पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है, जिसका उल्लेख परीक्षार्थी हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी अनुदेशों में किया जायेगा।
9. परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु खाली कागज आदि नहीं दिया जाएगा।
10. **वस्तुनिष्ठ (Objective type) परीक्षा में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री यथा ग्राफ, लॉग टेबल, कैलकुलेटर आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
11. प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध में यदि आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर के माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें।
12. परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस/72 घण्टे के भीतर अभ्यावेदन/शिकायत सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों/शिकायतों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
13. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक/प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर का त्रुटि पूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते हैं।
14. **प्रश्नोत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कही पर भी पहचान चिह्न यथा अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर इत्यादि नहीं लिखें। यहां तक कि पत्र आदि लेखन में भी नहीं लिखें (XYZ, ABC, अ ब स आदि लिखा जा सकता है)। कोई धार्मिक चिह्न, देवताओं के नाम, अनर्गल बातें, प्रश्नोत्तर से असंबंधित वाक्य, शब्द एवं अंक आदि भी न लिखें। ऐसा**

करने पर आयोग द्वारा इसे अनुचित साधन अपनाने का कृत्य माना जायेगा तथा अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की जाकर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) करने की कार्यवाही की जा सकेगी और उसके लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा।

15. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार अपनी पात्रता की जांच कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, का यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र नहीं है, तो उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
16. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड कर परीक्षा में उपस्थित होवें। आयोग द्वारा प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
17. **परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा सत्र के लिये परीक्षा प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
18. **अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।**
19. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस–पास के स्थानों को भली भांति देख ले कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस–पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह अभिजागर को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की नकल न करेगा और न अपने प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की नकल करने देगा, न कोई प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक लेगा और न लेने या देने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022** के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
21. परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022** के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।
22. **अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व या पश्चात् आयोग द्वारा विभिन्न विधियों से जाँच की जा सकती है, जिसमें बायोमैट्रिक/मुख पहचान (Face Recognition)/HHMD Devices से फ्रिस्किंग/अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी शामिल है। अभ्यर्थी को ऐसी किसी जाँच या परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा।**
23. केन्द्राधीक्षक/अभिजागर या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
24. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना घंटी बजाकर दी जायेगी। तत्पश्चात् अभिजागर द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किये जायेंगे। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पालन करें। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं संबंधित विषय का ही प्राप्त हुआ है।
25. ऐसी परीक्षा जिनमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र व ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रूप से एक ही लिफाफे/पॉलिथीन बैग में बंद उपलब्ध कराये जाते हैं, यह लिफाफा/पॉलिथीन बैग निर्धारित समय से पांच मिनट पूर्व ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक भरने हेतु वितरित किया जायेगा। अभ्यर्थी लिफाफा/पॉलिथीन बैग प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा/पॉलिथीन बैग सील बन्द है और लिफाफा/पॉलिथीन बैग खोलने के बाद यह जांच लें कि–
    (i) प्रश्न पुस्तिका व ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर अंकित क्रमांक एक समान हैं। यदि अंकित क्रमांक में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो ऐसा प्रकरण तुरंत अभिजागर को सूचित किया जावे।
    (ii) प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक के सभी पृष्ठ व सभी प्रश्न सही मुद्रित हैं। कोई पृष्ठ कम नहीं है तथा मुद्रण त्रुटि नहीं है। किसी प्रकार की विसंगति या दोषपूर्ण होने पर परीक्षार्थी अभिजागर से दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

26. परीक्षा समय समाप्त होने के उपरान्त 10 मिनट अतिरिक्त समय हेतु चेतावनी की घंटी बजेगी ताकि परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिये एक विकल्प (गोला) भर दिया गया है। परीक्षा समय समाप्त होने पर परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार नहीं करने दिया जायेगा।
27. परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् पूर्ण परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
28. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व परीक्षार्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक अभिजागर को सम्भला दें, तत्पश्चात् अभिजागर से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पत्रक/प्रश्नोत्तर पुस्तिका या उसके भाग को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने या ले जाने में मदद करने को आयोग द्वारा गम्भीर आपराधिक दुराचरण माना जायेगा और विवर्जन (Debarment) की कार्यवाही के साथ–साथ नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
29. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत परीक्षा समय शुरू होने से 01 घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात् पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी केवल एक बार अभिजागर की अनुमति से लघु शंका हेतु जा सकेगा।
30. आयोग द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में आयोग परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है।
31. परीक्षा में बैठने के लिये आयोग द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
32. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

5.2 ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में दिशा निर्देशः–

ऑनलाइन परीक्षा हेतु विशेष दिशा–निर्देश होते हैं जिन्हें आयोग द्वारा पृथक से वेबसाइट पर डाला जाता है जिसका अभ्यर्थी अवलोकन कर लें। ऑनलाइन परीक्षाओं में कतिपय परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकृति की हो सकती है और कतिपय वर्णनात्मक प्रकृति की हो सकती है अतः इनके प्रावधान भी अलग–अलग प्रकृति से हो सकते हैं, अतः उनका अवलोकन अवश्य कर लें। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. अभ्यर्थी परीक्षा से एक घण्टे पूर्व उपस्थित हों ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा सम्बंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हों। यदि ब्रीफिंग कक्ष में स्थान का अभाव हो, तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें। यदि आयोग द्वारा ब्रीफिंग का निर्णय नहीं भी लिया गया है तब भी अभ्यर्थी परीक्षा से न्यूनतम एक घण्टे पूर्व उपस्थित हो जाएं, क्योंकि यह परीक्षा कम्प्यूटर लेब में आयोजित की जाती है जिसके लिए विशेष व्यवस्था निर्धारित की जानी होती है।
2. ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में आयोग की वेबसाइट पर प्रायोगिक टेस्ट हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया जाता है जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर या चलाकर अभ्यास कर लें ताकि टेस्ट की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए और अभ्यर्थी उससे अभ्यस्त हो लें। फिर भी यदि किसी बिन्दु पर आपको अस्पष्टता है, तो ब्रीफिंग के समय आप उसका समाधान कर लें।
3. यदि आपने प्रायोगिक टेस्ट को पहले से नहीं देखा है, तो भी ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी समस्या समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे।
4. सामान्यतया ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को अपने रोल नम्बर को लॉग–इन (Login) करना होता है व उन्हे परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराये गये पासवर्ड का उपयोग कर साइन–इन करना होता है ।
5. अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर रेडियो बटन के रूप मे दिए गए विकल्प (Option) को माउस उपयोग कर सेलेक्ट करना होता है एवं उक्त प्रश्न के उत्तर को वह मार्क फार रिव्यू (Mark for Review), स्किप (Skip), सेव व नेक्स्ट (Save & Next) अथवा रिसेट (Reset) कर सकता है, उसी के अनुरूप प्रश्नो के उत्तर का रंग चेन्ज हो जावेगा। परीक्षा समय खत्म होने पर अभ्यर्थी द्वारा भरे गये रेस्पांस स्वतः सबमिट और सेव हो जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा के उपरांत वहीं ऑनलाइन फीड–बैक भी दे सकते हैं।

5.3 वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective Type Exam) हेतु निर्देशः–

1. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की समस्त प्रविष्टियां एवं प्रश्नोत्तर **नीले बॉल पेन** से भरे जाने है, अतः परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी नीला बॉल पेन अवश्य लेकर जावें।
2. परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा का उपयोग निषिद्ध है।
3. आयोग द्वारा समस्त मेडिकल एवं तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी (Bilingual) भाषाओं के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाएंगे।

4. वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार (Multiple Choice Type) का होगा। प्रश्न पत्र के उत्तर अंकित करने हेतु परीक्षार्थी को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक प्रदान किया जायेगा।
5. **वस्तुनिष्ठ (Objective type) परीक्षा में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री यथा ग्राफ, लॉग टेबल, कैलकुलेटर आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
6. परीक्षार्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। उत्तर पत्रक मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। अतः यदि परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी प्रविष्टि को कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जाता है तो परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। **अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक पर रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते है।**
7. अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र पुस्तिका व ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रूप से एक ही लिफाफे/पॉलिथीन बैग में बंद उपलब्ध कराये जाते हैं, यह लिफाफा/पॉलिथीन बैग निर्धारित समय से पांच मिनट पूर्व उत्तर पत्रक भरने हेतु वितरित किया जायेगा। अभ्यर्थी लिफाफा/पॉलिथीन बैग प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा/पॉलिथीन बैग सील बन्द है और लिफाफा/पॉलिथीन बैग खोलने के बाद यह जांच ले कि प्रश्न पत्र पुस्तिका व ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर अंकित क्रमांक एक समान है। यदि अंकित क्रमांक में किसी प्रकार की भिन्नता हो या प्रश्न पत्र में कोई मुद्रण की त्रुटि हो तो ऐसा प्रकरण तुरंत अभिजागर को सूचित करें तथा अभिजागर से दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर लें। ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर रोल नम्बर, विषय कोड एवं की गई अन्य प्रविष्टि में रही किसी भी गलती के लिये परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उसका ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है।
8. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिये एक विकल्प भरना अनिवार्य है।
9. प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1,2,3,4,5 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले (बबल) को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
10. **यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में पांचवे (5) विकल्प को गहरा करें। यदि पांच में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिये प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा।**
11. परीक्षा में ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) के सम्बन्ध में प्रश्न पत्र पर निर्देश दिये होंगे तथापि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य एक अशुद्ध उत्तर अथवा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर से है।
12. प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिये एक विकल्प (गोला) भर दिया गया है। इसके लिये ही **निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।**
13. **यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य माना जायेगा।**
14. परीक्षार्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति को अपने साथ ले जायेंगे। परीक्षार्थी को कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
15. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

5.4 वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश :–

1. वर्णनात्मक परीक्षा से आशय यह है कि परीक्षार्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका में पूछे गये प्रश्नों को हिन्दी/अंग्रेजी/विषय की सम्बन्धित लिपि में लिखना होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा समय शुरू होते ही अभिजागर द्वारा एक प्रश्नोत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें प्रश्न मुद्रित होंगे व प्रश्नोत्तर लिखने हेतु स्थान दिया होगा।
2. परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्नोत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं सम्बन्धित विषय का ही प्रश्न–पत्र प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पालन करें। प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. वर्णनात्मक परीक्षा में नीली स्याही के बॉल पेन के साथ ही सामान्य जैल पेन/स्याही पेन एवं आवश्यकता अनुसार पेंसिल, रबड़ एवं स्कैल (पैमाना) लाने की अनुमति होगी।
4. परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं प्रश्नोत्तर पुस्तिका में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा का उपयोग निषिद्ध है। ऐसा किये जाने पर उस प्रश्न में शून्य अंक दिया जायेगा।
5. आयोग द्वारा समस्त मेडिकल/तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी (Bilingual) भाषाओं के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाएंगे।

6. परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर चाही गई सूचनाओं की यथा स्थान पूर्ति करें। मुख पृष्ठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठों पर केवल प्रश्नोत्तर ही लिखें। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते हैं।
7. **प्रश्नोत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी पहचान चिह्न यथा अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर इत्यादि नहीं लिखें। यहां तक कि पत्र आदि लेखन में भी नहीं लिखें (XYZ, ABC, अ ब स आदि लिखा जा सकता है)। कोई धार्मिक चिह्न, देवताओं के नाम, अनर्गल बातें, प्रश्नोत्तर से असंबंधित वाक्य, शब्द एवं अंक आदि भी न लिखें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा इसे अनुचित साधन अपनाने का कृत्य माना जायेगा तथा अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की जाकर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित करने की कार्यवाही की जा सकेगी और उसके लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा।**
8. परीक्षार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं, परन्तु किसी एक विषय के प्रश्नों का उत्तर अंशतः अंग्रेजी और अंशतः हिन्दी में दिये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि प्रश्न पत्र में ऐसा करने के लिये विशेष तौर पर निर्देश नहीं दिये गये हो।
9. अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी साहित्य एवं भाषा विषयक विषयों की परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर संबंधित भाषा/लिपि की सम्बन्धित लिपि में ही दिये जायेंगे सिवाय इसके कि किसी विशेष प्रश्न का उत्तर हिन्दी या यथास्थिति अंग्रेजी में देने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा की गई हो।
10. परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु अलग से कोई पुस्तिका अथवा खाली कागज उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा एवं ना ही पूरक उत्तर पुस्तिका जारी की जायेगी।
11. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

वर्णनात्मक परीक्षा में कैलकुलेटर/लॉगटेबल आदि सहायक सामग्री के प्रयोग में लाने संबंधी निर्देश

1. परीक्षा के समस्त अभियांत्रिकी विषयों, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वाणिज्य, अंकेक्षण एवं लेखांकन तथा सांख्यिकी विषयों के परीक्षार्थी प्रश्न–पत्रों के हल हेतु नॉन प्रोग्रामेबल (Non Programmable) ध्वनि रहित तथा सौर ऊर्जा/बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर अपने साथ ला सकते हैं व उनका प्रयोग कर सकते हैं। केन्द्राधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा कि उपर्युक्त प्रकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग परीक्षार्थी को नहीं करने दें।
2. प्रोग्रामेबल (Programmable) कैलकुलेटर से आशय ऐसे कैलकुलेटर से है, जिसमें प्रयोगकर्त्ता किसी कठिनतम प्रश्न को हल करने हेतु प्रोग्राम लिखकर सुरक्षित रख सकता है। प्रोग्रामेबल (Programmable) कैलकुलेटर स्वचालित रूप से संचालन के एक क्रम (Sequence of operation) को पूरा कर सकता है एवं इसमें यथा कुंजिकाएं उपलब्ध होती है :– data bank –execute-formula-forward-go to- learn-letters of alphabet-load-memo-programme-reverse-run-LRN. अतः ऐसी कुंजिकाओं वाले कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षा के परीक्षार्थी की मांग पर आयोग जहां आवश्यक समझेगा, संदर्भ हेतु निम्न सामग्री उन्हें उपलब्ध करायेगा (स्वयं द्वारा लाई गई किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रयोग निषेध है):–
   - गणितीय (Mathematical), भौतिकी (Physical), रासायनिक (Chemical), सांख्यिकीय (Statistical) तथा अभियांत्रिकी सारणियां (Engineering Tables) जिनमें लॉगरिथमिक सारणी (Logarithmic Table) भी सम्मिलित है।
   - 800 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान तथा 500 Kgf/Cm^2 के लिये स्टीम सारणियां जिसमें मोलियर डायग्राम (Moliere Diagrams) सम्मिलित है।

5.5 श्रुतलेखक (Scribe) के संबंध में दिशा–निर्देश

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्धा करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैः–

1. **अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैः–**
   - 1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक आयोग द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
   - 1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन–पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।
   - 1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. **आयोग के माध्यम सेः–**
   - (A) **केन्द्राधीक्षक से अनुरोध करः–** अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अतः अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   - (B) **आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग करः–** श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा से दो दिवस पूर्व आयोग से सम्पर्क करना होगा। ऐसा आवेदन किये जाने पर आयोग द्वारा पैनल में उपलब्ध श्रुतलेखक में से उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन/परीक्षा समन्वयक को निर्देशित कर दिया जाएगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा–निर्देशः–

1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र, वचनपत्र (Appendix- A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix- B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।

3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section- 2(r) * के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) **दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनो हाथों की निःशक्तता- Both Arms) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy)** श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix- C) एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।

4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section- 2(s) * के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (Appendix- D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।

6. **ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का**

क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना–पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र एवं वचनपत्र (Appendix- E) प्रस्तुत करना होगा।

7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष स्नातक अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी

8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
9. श्रुतलेखक की सुविधा/क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
11. आयोग द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा।
12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।
13. आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण–पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।
14. **आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।**

विशेष नोटः– विशेष परिस्थितियों में ऐसे दिव्यांगजन जो कि श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र है किन्तु वांछित प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दिवस से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन्हें वचन–पत्र (Appendix-F) के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित किया जावे।

*__Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 :-__ "person with benchmark disability" means a person with not less than fourty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 :- "person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

APPENDIX- A

Undertaking by Candidate for using scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1. I ___________________________S/o/D/o________________________________a candidate with _____________________ (nature of disability/condition) appearing for the ____ (name of the examination) bearing Roll No. ______________ at ______________________________________ (name of the center) in the District ________, Rajasthan. My educational qualification is ______________________.
2. I do hereby state that ___________________________(name of the scribe) S/o/D/o________________________ a resident of________________________________ (Village/District/State) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.
3. I do hereby undertake that Scribe's qualification is _______________________. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and as decided by the RPSC, Ajmer, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
4. I am not debarred in any examination from RPSC, Ajmer or any other examination body.
5. In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all consequence as per rule.

(Signature of the candidate)

VERIFICATION

I ---verify that the information provided by the candidate has been checked as per the original document of the candidate.

(Signature of Center Superintendent)

Place:
Date:
Note: Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and scribe qualification with this Undertaking.

APPENDIX- B

Undertaking by Scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1. I __________________________S/o/D/o______________________ a resident of_______ ________________________________ (Village/District/State) providing the service of scribe to _____________________(name of candidate) S/o/D/o___________________ appearing for the ____ (name of the examination) at ____________________________________ (name of the center) in the District _______, Rajasthan. My educational qualification is _____________________.
2. I do hereby undertake that my qualification is ______________________. In case, subsequently it is found that my qualification is not as declared by the undersigned and as decided by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer then RPSC can take action as per rules.
3. I am not debarred in any examination from RPSC, Ajmer or any other examination body.
4. In case any of above information is found wrong then I shall be debarred permanently for all future examinations conducted by Rajasthan Public Service Commission, Ajmer and the commission shall act against me as per law.

(Signature of the Scribe)

VERIFICATION

I ---verify that the information provided by the scribe has been checked as per the original document of the scribe.

(Signature of Center Superintendent)

Place:

Date:

Note: Attach a copy of Education Qualification Certificate & Photo Identity Proof of Scribe with this Undertaking.

APPENDIX- C

Certificate regarding physical limitation of examinee to write

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

This is to certify that I have examined Mr/Ms/Mrs ………………………………………………………………(name of the candidate with disability), a person with…………………………………………………………………..(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o……………………………. a resident of………………………………………………………………………(Village/District/State) and to state that he/she/ has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a

Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by an authorised specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability- Orthopaedic specialist/PMR)

APPENDIX- D

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

1. This is to certify that we have examined Mr/Ms/Mrs ………………………………………….. (name of the candidate), S/o /D/o ……………………………………………….., a resident of ……………………………………………………………………(Vill/PO/PS/District/State), aged …………….. yrs, a person with ………………………………… (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.
2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe: ....
3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto __________ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if required)	Occupational therapist (if required)	Any other Expert based on the condition of the candidate, as nominated by the Chairperson
(Signature & Name) Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer………Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place:
Date:

APPENDIX- E

Undertaking by Candidate for availing only Compensatory Time

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1. I ______________________________S/o/D/o__________________________ a candidate with ______________________________ (nature of disability/condition) appearing for the ____ (name of the examination) bearing Roll No. _______________ at ____ ________________ (name of the center) in the District ___________, Rajasthan.
2. I do hereby undertake that I am eligible for availing Compensatory Time for aforementioned examination according to RPSC, Ajmer guidelines. In case, subsequently it is found that I am not eligible for the same, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
3. In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all consequence as per rule.

(Signature of the candidate)

VERIFICATION

I ---verify that the information provided by the candidate has been checked as per the original document of the candidate.

(Signature of Center Superintendent)

Place:
Date:
Note: Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and other related document applecable as per rule.

APPENDIX- F

Undertaking by Candidate for using scribe /Compensatory time in special circumstances

Latest Photograph of Scribe (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1. I ________________________S/o/D/o____________________________a candidate with ___________________ (nature of disability/condition) appearing for the ____ (name of the examination) bearing Roll No. ____________ at _________________________________ (name of the center) in the District _______, Rajasthan. My educational qualification is ____________________.
2. I, the above candidate do hereby state that ________________________(name of the scribe) S/o/D/o______________________ a resident of_______________________ _________(Village/District/State) will provide the service of scribe to me for taking the aforementioned examination. Scribe educational qualification is ____________________.
3. My Scribe is not debarred in any exam from RPSC, Ajmer or any other examination body.
4. I have provided the following documents to Center Superintendent __________________ ____
5. Details of the documents not provided by me to Center Superintendent and which will be provided to the RPSC, Ajmer within 3 days are as under, failing which my Candidature may be cancelled____ ____
6. In case any of above information is found wrong or I am not eligible for using the scribe as per the norms, then my Candidature may be cancelled by RPSC, Ajmer and the Commission shall act against me as per law.

(Signature of the candidate)
Name of candidate:

VERIFICATION

I ________________________________ verify the information provided by the candidate.

(Signature of Center Superintendent)

Place:
Date:

5.6 अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देशः–

1. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही परीक्षा केन्द्र में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग में से किसी की भी नहीं होगी।

2. जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक (Debarment) सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

3. यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा परीक्षा या उसकी प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

4. परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के विरूद्ध **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022** के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैः–

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग/अनुशासनहीनता/अभद्र व्यवहार करने अथवा प्रयास करने पर दिया जाने वाला दण्ड (आयोग द्वारा दिनांक 10.07.2025 को अनुमोदित)

क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	दिये जाने वाला दण्ड
1	ओ.टी.आर./ऑनलाईन आवेदन पत्र में असत्य सूचना देना यथा– दिव्यांगजन संबंधी, आरक्षण श्रेणी संबंधी, विवाह विच्छेद/विधवा संबंधी।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
2	शैक्षणिक योग्यता संबंधी असत्य सूचना देना यथा– अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हुए भी सम्मिलित होने का इन्द्राज ऑनलाईन आवेदन में करना, विज्ञापन एवं नियम में वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव नहीं होते हुए भी आवेदन करना। बिना शैक्षणिक योग्यता के एक से अधिक आवेदन करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
3	आयोग द्वारा पोर्टल पर जारी परीक्षा के प्रवेश–पत्र/उपस्थिति पत्रक (Admission Card/Attendance Sheet) में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/फर्जकारी (Tampering/Forgery) करना।	आजीवन डिबार एवं पुलिस में एफ.आई.आर.
4	परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने के पश्चात केन्द्राधीक्षक के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करना, अभिजागर के विधिक निर्देशों का उल्लंघन करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी एक वर्ष के लिए डिबार
5	परीक्षा परिसर/कक्ष/टॉयलेट्स में किसी भी उद्देश्य से कागज, पुस्तक, कॉपी, मोबाइल, ब्लूटूथ अथवा अन्य कोई संचार यंत्र आदि अपने साथ अथवा पास में रखना। अनुचित साधनों के उपयोग में लेने के उद्देश्य से किसी प्रकार की परीक्षा सामग्री/संचार माध्यम/इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को परीक्षा परिसर के भीतर या बाहर स्थापित करना अथवा करने का प्रयास करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार आपराधिक कार्यवाही।
6	परीक्षा केन्द्र परिसर/परीक्षा कक्ष अथवा बाथरूम या टॉयलेट में किसी अभ्यर्थी को नकल कराना/नकल करना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी दो वर्ष के लिए डिबार
7	परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा सामग्री/प्रश्न पत्र/परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि/संदेह होने पर लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा परिसर में हंगामा करना/हंगामे का प्रयास करना/परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने हेतु प्रेरित करना/दुष्प्रेरण का प्रयास करना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार

8	मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी परीक्षार्थी (Dummy candidate) द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना/सम्मिलित होने का प्रयास करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार एवं पुलिस में एफ.आई.आर.
9	परीक्षा भवन में किसी प्रकार का घातक हथियार आदि लेकर आना/अपने पास रखना/उनके माध्यम से किसी प्रकार की अनुचित धमकी देना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार साथ ही पुलिस में एफ.आई. आर. भी
10	पूर्व अनुमति बिना ही परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व परीक्षा केन्द्र से बाहर निकलना/भाग जाना।	संबंधित परीक्षा निरस्त
11	परीक्षा कक्ष से उत्तरपुस्तिका/ओ.एम.आर.शीट को परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, उसके किसी भाग को फाड़ देना/चोरी करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार केन्द्राधीक्षक द्वारा विधिक कार्यवाही।
12	प्रश्न के उत्तर के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर प्रश्न उत्तर लिखना/प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अनर्गल शब्द, कोई धार्मिक चिह्न, धार्मिक उद्घोष, देवताओं के नाम, वाक्य/प्रतीक अथवा पहचान चिह्न, अथवा संकेत अंकित करना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
13	ऑनलाईन आवेदन करते समय स्वयं अभ्यर्थी की फोटो के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी की फोटो केप्चर कर अपलोड करना अथवा किन्हीं दो अभ्यर्थियों की फोटो मिक्स कर अन्य अभ्यर्थी की फोटो जनरेट करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार साथ ही पुलिस में एफ.आई. आर. भी
14	परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वचन पत्र देने से मना करना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
15	परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग के किसी भी कार्मिक पर प्रभाव डालना/प्रलोभन देना अथवा आशंकित करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी पाँच वर्ष के लिए डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार विधिक कार्यवाही।
16	आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जारी करने से पूर्व दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी की जाने वाली विचारित सूची की निरन्तरता में प्रस्तुत किये जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की असत्य सूचना अंकित करना/फर्जी दस्तावेज/फर्जी डिग्री प्रस्तुत करना/फोटोशॉप करना अथवा ऐसा कार्य करने का प्रयास करना/अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं देना एवं तथ्यों को छुपाना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार विधिक कार्यवाही।
17	स्वयं की ओ.एम.आर. शीट पर अन्य के रोल नम्बर लिखना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
18	नकल करने की सामग्री को पकड़े जाने पर उस साक्ष्य को नष्ट करना/निगल जाना/फाड़ देना/खुर्दबुर्द करना या ऐसा करने का प्रयास करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए डिबार
19	परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा के पश्चात परीक्षा केन्द्र पर नियोजित किसी भी कार्मिक एवं अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार/डराना–धमकाना/धक्का–मुक्की/ मारपीट/प्रलोभन देने या ऐसा करने का प्रयास करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी पाँच वर्ष के लिए डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार विधिक कार्यवाही।
20	परीक्षा की गोपनीयता को किसी भी प्रकार से भंग करना या भंग करने का प्रयास करना।	आवेदक की संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आजीवन डिबार एवं प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार पुलिस में एफ.आई.आर.
21	उत्तरपुस्तिका/ओ.एम.आर. आंसरशीट पर सफेदा (Whitener) लगाना, अपठनीय बनाना, अपने द्वारा लिखे हुए उत्तर को बिना किसी टिप्पणी के काट देना। उत्तरपुस्तिका एवं ओ.एम.आर. आंसरशीट पर प्रिन्ट कोड क्षतिग्रस्त करना।	संबंधित परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी दो वर्ष के लिए डिबार
22	अन्य किसी भर्ती संस्थाओं/बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा विवर्जित (Debar) किये जाने पर।	अन्य संस्थाओं की अवधि के बराबर विवर्जित

6. विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यक सामान्य दिशा–निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें चयन प्रक्रिया के माध्यम में साक्षात्कार सम्मिलित हैं तथा ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें चयन प्रक्रिया के माध्यम में साक्षात्कार सम्मिलित नहीं हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम तथा विचारित सूची जारी करते समय प्रियम्बल (प्रस्तावना) में अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र मय शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अनुभव एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित क्रमशः आयोग कार्यालय तथा संबंधित विभाग/निदेशालय में ऑनलाईन/व्यक्तिशः/डाक द्वारा निर्देशानुसार निर्धारित समय में जमा कराना होगा।
2. **विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम/संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग/विभाग/निदेशालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही आयोग/विभाग/निदेशालय द्वारा नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जायेगा। अवसर दिये जाने की उक्त सूचना आयोग/विभाग/निदेशालय की वेबसाईट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ प्रदर्शित की जायेगी एवं इस अवसर के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।**
3. **उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को चयन के लिये इच्छुक नहीं होने एवं अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी।**

7. दस्तावेज सत्यापन/काउन्सिलिंग संबंधी आवश्यक सामान्य दिशा–निर्देश

1. आयोग द्वारा जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा आयोजन के पश्चात् पात्रता जाँच हेतु विचारित सूची के लिए अस्थाई दो गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करते हुए प्रारम्भिक परिणाम जारी किया जाता है, उनमें अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु विभाग/निदेशालय द्वारा परामर्श सत्र (Counselling Session) आयोजित किए जाते हैं। **विभाग/निदेशालय** द्वारा काउन्सिलिंग की तिथि, स्थल व समय हेतु प्रेस नोट/एस.एम.एस./E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।
2. काउन्सिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेजों, विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रति), **आवेदन शुल्क ऑनलाईन जमा करवाकर उसकी प्राप्ति रसीद, ई–प्रवेश पत्र की प्रति, ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति/संशोधित ऑनलाईन आवेदन की प्रति,** दो पासपोर्ट साईज फोटो, काउन्सिलिंग पत्र, स्वयं की फोटो आई.डी. तथा समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां (एक प्रति) लेकर विचारित सूची के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. **प्रमाण–पत्र :– काउन्सिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र (मूल व फोटो प्रति) लेकर निर्धारित तिथि व समय को आयोग/काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित स्थल पर उपस्थित होंगे :–**

(क) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रः–

1. सैकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
2. सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकतालिकाएं **(प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग)** एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएं **(प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग)** एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
5. M.Phil./Ph.D. की अंकतालिकाएं **(प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग)** एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
6. जिन पदों के लिए NET/SET/SLET/CSIR पात्रता परीक्षा की अर्हता आवश्यक है, उनमें पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र।
7. प्रशैक्षणिक योग्यता (बी.एड./एम.एड./अन्य) की अंकतालिकाएं **(प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग)** एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
8. अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि अर्जित की हो तो उसकी अंकतालिकाएं **(प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग)** एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र।
9. भर्ती विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र/अंकतालिकाएं।

नोट :–

1. यदि किसी परीक्षा की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. यदि आवेदक आवेदन के समय पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उतीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख विस्तृत आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में करे तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र–3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।

(ख) मूल निवास व जाति प्रमाण–पत्र :–

जो आवेदक राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तथा ऑनलाईन आवेदन में उक्त श्रेणी का उल्लेख किया है, वे अभ्यर्थी **राज्य सरकार की भर्तियों हेतु निर्धारित प्रपत्र में** सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र लेकर आवें **जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी किया हुआ हो,** अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लावें।

(ग) निःशक्तता प्रमाण–पत्रः–

जो आवेदक विशेष योग्यजन की श्रेणी में आवेदन करते हैं, वे अभ्यर्थी इसके प्रमाण में सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (निदेशालय विशेष योग्यजन के परिपत्र दिनांक 16.9.2015 एवं समय–समय पर जारी परिपत्रों व अधिसूचनाओं के अनुसार) **40% या इससे अधिक स्थाई निःशक्तता का प्रमाण–पत्र** लावें। **निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।**

(घ) **भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्रः–** भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना आवश्यक हैं :–

(1) पेंशन डायरी / डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (2) पी.पी.ओ. (3) दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र

(4) भूतपूर्व सैनिक, निराक्षेप / अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता / करती है तो सेना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **निराक्षेप / अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C)**।

(5) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में उपलब्ध कराये गये स्वतः घोषणा पत्र / वचनबंध / प्रार्थना पत्र की प्रति ताकि दोहरे लाभ संबंधी बिन्दु पर निर्णय हो सकें।

(ङ) **अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र :–**

विज्ञापन के अनुसार यदि कोई अनुभव वांछित है तो आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के साथ उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा यदि अभ्यर्थी कहीं कार्यरत हैं / थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउन्सिलिंग में उपस्थित होवें।

(च) **सेवारत अभ्यर्थीः–**

अभ्यर्थी यदि कहीं सेवारत (स्थाई हो या अस्थाई) है तो अभ्यर्थी अपना सेवा प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउन्सिलिंग में उपस्थित होवें।

Note :- NOC का आशय ''सेवारत अभ्यर्थी का चयन होने की स्थिति में उसके विभाग को उसे कार्यमुक्त करने / छोड़ने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र'' से है।

(छ) **विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र :–**

अभ्यर्थी यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री** (DBSA No. 72/2022 **में पारित निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा।**

यदि आवेदक अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व विवाह सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तो इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

(ज) **आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र :–** अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्राप्त कर काउन्सिलिंग में उपस्थित होंवे।

4. **काउन्सिलिंग के समय मूल दस्तावेजों के अभाव में आयोग / विभाग / निदेशालय को किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।**
5. **काउन्सिलिंग के समय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आयोग / विभाग / निदेशालय द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 05 दिवस का समय दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को संबंधित पद हेतु अपात्र कर दिया जायेगा और अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
6. **काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग / विभाग / निदेशालय द्वारा कोई यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।**

8. परिणाम व अभिस्तावना संबंधी सामान्य जानकारी

1. **आयोग द्वारा संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानों, शासन द्वारा जारी किये गये परिपत्रों एवं विज्ञापन/शुद्धि पत्र में दर्शाए गए आरक्षण/वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार परिणाम जारी किया जाता है।**
2. **एक ही विषय/एक ही पद के लिये आयोजित भिन्न–भिन्न परीक्षा के अंतर्गत अथवा एक ही पद के लिए विभिन्न विषयों की पात्रता होने की स्थिति में आयोजित परीक्षा में आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों की इस बाबत् चुनौती स्वीकार्य नहीं होगी।**
3. किसी भर्ती/परीक्षाओं के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांकों का प्रावधान विहित होने की स्थिति में संबंधित सेवा नियम के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट दी जा सकेगी।
4. **किसी भर्ती/परीक्षाओं के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांकों का प्रावधान विहित होने की स्थिति में संबंधित सेवा नियम/अन्य नियमों के प्रावधानानुसार विशेष योग्यजन एवं भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत/या और 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।**
5. संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार योग्य/पात्र (पात्रता जांच में उचित पाये/सफल पाये जाने पर) पाये गये अभ्यर्थियों की अभिस्तावना आयोग द्वारा संबंधित विभाग को भिजवायी जाती है।
6. किसी भी प्रकार की संवेदनशील/गोपनीय प्रकरण से संबंधित सूचना, उत्तरपुस्तिका की प्रति, प्राप्तांक (अंक) आदि की सूचना/दस्तावेज उपलब्ध करवाना/सूचना देने से इनकार करने संबंधी सभी अधिकार (सर्वाधिकार) आयोग के पास सुरक्षित है।

9. आरक्षित सूची लागू करने संबंधी दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार (विज्ञापित पदों की संख्या के 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत की सीमा तक) आरक्षित सूची तैयार की जा सकती है।
2. संबंधित विभाग द्वारा अपात्र एवं कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने की स्थिति में आरक्षित सूची में से नाम मांगे जाने पर आयोग द्वारा चयन की मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि के अन्दर ही आरक्षित सूची में से अनुशंसा (recommendation) की जा सकती है।
3. परिपत्र दिनांक 27.12.2021 के अनुसार आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि से की जायेगी। मुख्य सूची प्रेषित करते समय यदि बहुत कम संख्या में नाम (कुल प्राप्त रिक्तियों का 10 प्रतिशत से कम) अपरिहार्य कारणों से प्रेषित नहीं किये जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात् प्रेषित किये जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों को आपवादिक माना जायेगा तथा इस अनुशंसा (recommendation) की तिथि पर आरक्षित सूची के प्रवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा तथा 6 माह की अवधि के लिए तिथि की गणना मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से ही की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में अपरिहार्य कारण से कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नाम मुख्य सूची प्रेषित करने के पश्चात् कालान्तर में प्रेषित किये जाते हैं तो उस स्थिति में समयावधि की गणना चयन की अन्तिम अनुशंसा (recommendation) प्रेषित करने की तिथि से की जायेगी।
4. किसी रिक्त पद पर नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरान्त उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्यग्रहण करने के उपरान्त त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति को नवीन रिक्ति ही माना जावेगा तथा उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ही भरा जायेगा।
5. मूल सूची अनुशंषित करने के पश्चात् भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय स्थगन होने जाने की स्थिति में आरक्षित सूची के प्रवर्तन के लिए 6 माह की अवधि की गणना करने के लिए स्थगन अवधि को निकालते हुए गणना की जायेगी। संशोधित/पुनः परिणाम के प्रकरणों में समयावधि की गणना पुनः परिणाम के पश्चात् चयन सूची अनुशंषा करने की तिथि से की जायेगी।
6. जिन प्रकरणों में नवीन विज्ञापन प्रकाशित होने पर प्रक्रियाधीन भर्ती में कार्यग्रहण न करने से प्राप्त रिक्तियों को नवीन भर्ती की अर्थना/विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया हो, उनमें प्रक्रियाधीन भर्ती में मूल सूची की अनुशंसा प्रेषित करने की तिथि से 6 माह की अवधि अथवा नवीन भर्ती में परीक्षा होने की तिथि जो भी पहले हो, तक आरक्षित सूची का प्रवर्तन किया जा सकेगा। यदि प्रक्रियाधीन भर्ती में आरक्षित सूची का क्रियान्वयन न्यायिक स्थगन के कारण समय पर नहीं हो पाता है एवं रिक्त रहे पदों को नवीन भर्ती में भी शामिल नहीं किया गया है तो आरक्षित सूची के प्रवर्तन के लिए 6 माह की अवधि की गणना स्थगन अवधि को निकालते हुए की जायेगी एवं उक्त स्थिति में नवीन भर्ती की परीक्षा आयोजित होने क उपरांत भी मूल सूची प्रेषित किये जाने की 6 माह की अवधि तक आरक्षित सूची का प्रवर्तन किया जायेगा।

नोट :— आरक्षित सूची के संबंध में पद से संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. प्राथमिकता क्रम भरने संबंधी सामान्य जानकारी

आयोग द्वारा जारी जिन विज्ञापनों में दो या अधिक पदों हेतु एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है या अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non Scheduled Area) हेतु एक ही विज्ञापन जारी किया जाता है, उनमें प्राथमिकता क्रम भरा जाना आवश्यक होता है। अतः अभ्यर्थी ऐसे विज्ञापनों में आवेदन करते समय अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता क्रम का इन्द्राज नहीं किया जाता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी होगा तथा प्राथमिकता क्रम नहीं भरे जाने की स्थिति में इस संबंध में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उसकी प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी अथवा आयोग द्वारा तय किये गये निर्णय को स्वीकार करना होगा।

---

11. विस्तृत आवेदन पत्र सह–परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने संबंधी सामान्य निर्देश

साक्षात्कार/अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश

(आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें)

1. **आवेदन–पत्र शुल्कः– अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन–पत्र शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें।**
2. **आवेदन–पत्र भरनाः– अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र दो प्रति में भरें तथा समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित व स्वहस्ताक्षरित एक प्रति अवश्य संलग्न करें। अभ्यर्थी ई–प्रवेश पत्र व ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति भी अवश्य संलग्न करें।** अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

   नोट :– आवेदक आवेदन–पत्र स्वयं के हस्तलेख (Hand writing) में भरें। आवेदन–पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट–छाँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन–पत्र अपूर्ण मानकर रदद् किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन–पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) व विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। विस्तृत आवेदन पत्र में लाईव फोटो अपलोड करें। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत् भरा हुआ निर्धारित आवेदन–पत्र **आयोग/विभाग/निदेशालय** कार्यालय में आवेदन–पत्र की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से (व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा) पहुँच जाना चाहिये। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन–पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।
3. **प्रमाण–पत्रः–** समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्र (शैक्षणिक/आयु/आचरण/जाति/निःशक्तता आदि प्रमाण–पत्र) एक प्रति में इस विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा/पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। **प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें :–**

   (क) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रः–

   अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अपनी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां (01 प्रति) भेजनी होंगी :–

   1. सैकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
   2. सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
   3. स्नातक की अंकतालिकाएं (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग) एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
   4. स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएं (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग) एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
   5. M.Phil./Ph.D. की अंकतालिकाएं (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग) एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
   6. जिन पदों के लिए NET/SET/SLET/CSIR पात्रता परीक्षा की अर्हता आवश्यक है, उनमें पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र।
   7. प्रशैक्षणिक योग्यता (बी.एड./एम.एड./अन्य) की अंकतालिकाएं (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग) एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र।
   8. अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि अर्जित की हो तो उसकी अंकतालिकाएं (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अलग–अलग) एवं उपाधि/अस्थाई प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र।
   9. भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र/अंकतालिकाएं।

नोट :– 1. यदि किसी परीक्षा की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

2. यदि आवेदक ऑनलाईन आवेदन के समय पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उतीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख विस्तृत आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र–3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। (नोट :– ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए तृतीय वर्ष में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी/जहां पर 6 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी/जहां पर 8 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां सातवें सेमेस्टर में

प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को ही उक्त शर्तानुसार योग्य माना जायेगा तथा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के लिए स्नातकोत्तर उतरार्द्ध (Final) में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी / जहां पर 4 सेमेस्टर के बाद डिग्री अवार्ड होती है, वहां तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को ही उक्त शर्तानुसार योग्य माना जायेगा।)

(ख) आयु का प्रमाण–पत्रः–

(1) RSR में विहित प्रावधान के अनुसार आयोग हाई स्कूल / सैकेण्डरी / मैट्रिक के प्रमाण–पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवदेक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल / सेकेण्डरी / मैट्रिक प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में आयोग विद्यालय के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। इसके लिये आवेदक को चाहिए कि वह अपने विद्यालय के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित करवाकर संलग्न कर सकता है।

(2) यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का, यथा राजस्थान सरकार के संस्थाई कर्मचारी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / निःशक्तजन / विधवा / परित्यक्ता / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें / उपलब्ध करावें, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

(3) **अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान विज्ञापन में दर्शाई गई वर्गवार रिक्तियों के अनुसार लागू होंगे।**

(ग) आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र :– अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।

नोटः– स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।

(घ) जाति प्रमाण–पत्र :– जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप **राज्य सरकार की भर्तियों हेतु निर्धारित प्रपत्र में** निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी किया हुआ हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी :–

i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
ii. Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
v. Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).

नोटः–(अ) सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ब) जो आवेदक पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के हों, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि

- निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर / नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य / अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित पद के लिए आवेदन करना होगा।

- प्रमाण पत्र नियमानुसार माता/पिता (कार्यरत/सेवारत होने पर दोनों की आय आधारित) की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता/पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(स) **EWS प्रमाण पत्र– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी को भी पारिवारिक आय के आधार पर पिता के नाम को दर्शाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

(ड.) **निःशक्तता प्रमाण–पत्रः–** यदि आवेदक निःशक्त व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है तो इसके प्रमाण में उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (निदेशालय विशेष योग्यजन के परिपत्र दिनांक 16.9.2015 के अनुसार) **40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र** प्रस्तुत करना होगा। **निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।**

(च) **अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र :–** आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।

(छ) **भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्रः–** भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :–

(1) **पेंशन डायरी/डिस्चार्ज सर्टिफिकेट** (2) **पी.पी.ओ.** (3) **दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र**

(4) **भूतपूर्व सैनिक, निराक्षेप/अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है** तो संबंधित सेना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **निराक्षेप/अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C)** जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया गया हो एवं जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि का स्पष्ट अंकन हो।

(5) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में उपलब्ध कराये गये स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध/प्रार्थना पत्र की प्रति।

(ज) **विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र :–** अभ्यर्थी यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा– राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा <u>विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन की अंतिम तिथि तक/से पूर्व केवल सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (DBSA No. 72/2022 में पारित निर्णयानुसार) प्रस्तुत करें।</u>** यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें।

4. **सेवारत अभ्यर्थी–** जो आवेदक सेवारत है (स्थाई हो या अस्थाई) उन्हें अपना आवेदन–पत्र सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन–पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह आयोग कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक के बाद पहुंचता है तो उस प्रार्थना–पत्र पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। भले ही आवेदक ने प्रार्थना–पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अन्तिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत किया हो।

नोट :– आवेदक का दायित्व होगा कि वह साक्षात्कार से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त कर आयोग कार्यालय को अवश्य भेजें। NOC का आशय "सेवारत अभ्यर्थी का चयन होने की स्थिति में उसके विभाग को उसे कार्यमुक्त/छोड़ने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र" से है।

5. **राष्ट्रीयता :– (क)** भारत का नागरिक या **(ख)** नेपाल या **(ग)** भूटान का प्रजाजन या **(घ.)** दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या **(ड)** स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के

मूल व्यक्ति। **नोटः–** वर्ग (ख), **(ग), (घ)** व **(ङ.)** से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत–सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

6. आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण–पत्र नहीं भेजना चाहिए, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से ऐसी माँग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण–पत्र को वापस लौटाने का दायित्व आयोग का नहीं होगा।
7. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।
8. आवेदक को उसके आवेदन–पत्र के अन्तिम परिणाम, चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, आयोग द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक् से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र–व्यवहार/आरटीआई आवेदन किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
9. आवेदक यदि किसी भी स्त्रोत या अन्य साधन द्वारा आवेदन को प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. पद से संबंधित रिक्ति व नियुक्ति नियमों/शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत पात्रता नहीं रखने पर निरस्त की जा सकती है।
11. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राजकीय सेवा में है, तो सेवा से पृथक् किया जा सकेगा। इस संबंध में आवेदक अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा।
12. यदि आवेदक के पते में परिवर्तन हो तो आयोग कार्यालय को अवश्य सूचित करें। आयोग कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा, फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र मंगवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. किसी सेवा विशेष/संयुक्त परीक्षा में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाये जा सकते हैं, इसके लिये संबद्ध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लें ।
14. 1. आयोग द्वारा आयोजित ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें चयन प्रक्रिया के माध्यम में साक्षात्कार सम्मिलित हैं तथा ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें चयन प्रक्रिया के माध्यम में साक्षात्कार सम्मिलित नहीं हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम तथा विचारित सूची जारी करते समय प्रियम्बल (प्रस्तावना) में अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र मय शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अनुभव एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित क्रमशः आयोग कार्यालय तथा संबंधित विभाग/निदेशालय में ऑनलाईन/व्यक्तिशः/डाक द्वारा निर्देशानुसार निर्धारित समय में जमा कराना होगा।
    2. **विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम/संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग/विभाग/निदेशालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही आयोग/विभाग/निदेशालय द्वारा नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जायेगा। अवसर दिये जाने की उक्त सूचना आयोग/विभाग/निदेशालय की वेबसाईट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ प्रदर्शित की जायेगी एवं इस अवसर के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।**
    3. **उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को चयन के लिये इच्छुक नहीं होने एवं अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी।**

Updated on 20 August, 2025

कार्यालय प्रविष्टि	आवेदन प्राप्ति की तिथि:–	प्राप्ति क्रमांक:–

प्रपत्र–1

विस्तृत आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन जमा करवाई गई 50/– रूपये राशि की प्राप्ति रसीद संलग्न करें।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

साक्षात्कार, अंतिम चयन एवं सीधी भर्ती हेतु

विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा दो प्रतियों में भरा जाए)

आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम फोटो (आधा फोटो पर एवं आधा फॉर्म पर)

रोल नम्बर	आवेदन पत्र क्रमांक (ऑनलाइन आवेदनपत्र का)	मेरिट क्रमांक (कार्यालय उपयोग हेतु) (केवल अंतिम परिणाम हेतु)	ऑनलाईन जमा प्राप्ति क्रमांक मय शुल्क राशि

विज्ञापन/शुद्धि पत्र संख्या	पद कोड/क्रम संख्या	पद का नाम	विभाग का नाम

आरक्षण वर्ग

Gen./ U.R.	EWS	OBC		MBC		SC	ST	अनुसूचित क्षेत्र के			बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया
		Creamy layer	Non Creamy layer	Creamy layer	Non Creamy layer			UR	SC	ST	

जन्म स्थान व मूल निवास

	राज्य	जिला	तहसील	अन्य टिप्पणी
जन्म स्थान				
मूल निवास				

अतिरिक्त विशेष श्रेणी *(आवेदक संबंधित कॉलम में "हाँ" अंकित करें। शेष कॉलम में "X" का चिह्न अंकित करें :–*

महिला				निःशक्तजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	एन.सी.सी. (सी.सर्टि.)
अविवाहित	विवाहित	विधवा	Divorcee	B/LV	HI (Deaf & Hard of hearing	LD/CP & Others	(a) I.D., M.I.,S.L.D. & Autism (b) Multiple Disability*			

सेवारत कर्मचारी:–	विभाग का नाम:–			पद:–
राज्य सेवा कर्मचारी	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	पंचायती राज/ सार्वजनिक निगम	विभागीय कर्मचारी

1. **आवेदक का पूरा नाम :** (क) हिन्दी में : श्री/श्रीमती/कुमारी ....

(ख) अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स में): Mr./ Mrs./ Miss ....

2. **(अ) पिता का नाम** : (क) हिन्दी में : श्री ....

(ख) अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स में): Mr. ....

(ब) माता का नाम : (क) हिन्दी में : श्रीमती ....

(ख) अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स में): Mrs. ....

3. **आवेदक की जन्म तिथि:** ..../......../............ 4. **विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु:** वर्ष ....माह .... दिन ....

5. **नागरिकता :– भारतीय/अन्य**...............................

6. **वैवाहिक स्थिति:**

अविवाहित	विवाहित	विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा	विधवा	पुनर्विवाहित

7. **विवाह विवरण** *(विवाहित होने की स्थिति में)* : ....

(पुनर्विवाहित होने की स्थिति में) : ....

पति/पत्नी का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	पंजीयन संख्या	पंजीयन स्थान	पंजीयन अधिकारी

8. सन्तान संबंधी विवरण :–

क्र.सं.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	क्र.सं.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक
1			3		
2			4		

9. कुल सन्तान संख्या	1.6.2002 से पूर्व :–	1.6.2002 के पश्चात् :–	कुल संतान :–

10. पत्र–व्यवहार का पता (मय फोन/मोबाइल नम्बर व E-mail ID) : ....
....
.... (मोबाइल नम्बर व E-mail ID लिखना अनिवार्य हैं।)

11. स्थाई निवास का पूरा पता :– ....
....
....

12. शैक्षणिक योग्यता :– (अ)

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्व–विद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	श्रेणी/ग्रेड	ऐच्छिक विषय	कोर्स की अवधि	प्रयासों की संख्या
मैट्रिक/हाई स्कूल/सेकेण्डरी/मध्यमा								
हायर सेकेण्डरी/ सी0 सेकण्डरी/इन्टर/वरिष्ठ उपाध्याय								
स्नातक (B.A/B.Com./B.Sc./B.Tech./M.B.B.S./Shastri/LLB/BVSc)								
अधिस्नातक(M.A/M.Com/M.Sc./M.Tech./MS/MD/Acharya/LLM)								
शिक्षा में स्नातक (बी.एड/शिक्षाशास्त्री)								
पात्रता परीक्षा (नेट/सेट/गेट/केट)								
M.Phil./Ph.D.								
अन्य कोई उपाधि/डिप्लोमा								

(ब) इन्टर्नशिप (यदि लागू हो) :– वर्ष .... माह .... दिन ....

(स) रजिस्ट्रेशन विवरण (यदि लागू हो):– (मेडिकल काउंसिल/राजस्थान नर्सिंग काउंसिल/तकनीकी शिक्षा/संस्थान............
....)

संस्था का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.	रजिस्ट्रेशन दिनांक	मान्यता अवधि	विशेष विवरण

(द) पद हेतु आवश्यक अनुभव (यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो):–

पदनाम	संस्था/ विभाग का नाम	अनुभव अवधि (कब से कब तक)	संस्था/विभाग का रजिस्ट्रेशन न. व दिनांक	स्थाई/अस्थाई	विशेष विवरण

13. अतिरिक्त विस्तृत सूचना :–

(1) यदि आपने पूर्व में **12 (द) की सूचना से भिन्न भी** कार्य किया है या कार्यरत हैं, तो उसका पूरा विवरण नीचे लिखें :– (अभ्यर्थी वर्तमान में राज्य सरकार के कार्मिक है तो अपनी Employee ID दर्ज करें)

पद का नाम	Employee ID (State Govt.)	नियुक्ति अधिकारी का पदनाम एवं विभाग	पद ग्रहण करने की दिनांक	पद छोड़ने की दिनांक (लागू हो तो)	स्थाई / अस्थाई / संस्थाई	वेतनमान / पे–मैट्रिक्स लेवल एवं मूल वेतन	संलग्नक संख्या

(2) यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो प्रमाण सहित संबद्ध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। **(संलग्नक संख्या** ....)

....

....

(3) यदि आपने अन्य कोई पुरस्कार / पदक / विजय चिह्न प्राप्त किया हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें। **(संलग्नक संख्या** ....)

....

....

(4) यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोधपत्र प्रकाशित हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें। **(संलग्नक संख्या** ....)

....

....

(5) यदि आपको कभी आयोग द्वारा दण्डित / पदच्युत / ब्लैकलिस्ट / विवर्जित किया गया हो, तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं उसके कारण का उल्लेख करें।

विभाग	पद / परीक्षा का नाम	वर्ष	कारण

(6) आपराधिक प्रकरण की सूचना :–

FIR No. / वर्ष	पुलिस थाना / जिला	अपराध की प्रकृति (अधिनियम / धारा)	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्थिति (दोष सिद्ध / लंबित / अपील)	अन्य विवरण

–: आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सम्पूर्ण हैं। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि इस आवेदन–पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए, तो आयोग मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा। मैंने आयोग के उपबन्धों / नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

*मैंने अपने कार्यालय / विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस पद / परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा / रही हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे दिनांक 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हैं / नहीं हैं।

*जो लागू ना हो तो उसे काट दें।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... **आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर**

संलग्नक सूची			प्रपत्र–2
क्र. सं.	संलग्न अभिलेख विवरण (स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति)	जारी क्रमांक व दिनांक	संलग्नक संख्या (कुल पृष्ठ)
1	**अंकपत्र–** मैट्रिक / हाई स्कूल / सेकेण्डरी / मध्यमा / उपाध्याय		
2	**उपाधि / प्रमाणपत्र–** मैट्रिक / हाई स्कूल / सेकेण्डरी / मध्यमा / उपाध्याय		
3	**अंकपत्र–** हायर सेकण्डरी / सीनियर सेकेण्डरी / इन्टरमीडिएट / वरि. उपाध्याय		
4	**उपाधि / प्रमाणपत्र–** हायर सेकेण्डरी / सीनियर सेकेण्डरी / इन्टरमीडिएट / वरि. उपाध्याय		
5	**अंकपत्र–** स्नातक (B.A/B.Com./ B.Sc./B.Tech./M.B.B.S./Shastri/ L.L.B./BVSc ………..)		
6	**उपाधि / प्रमाणपत्र–** स्नातक (B.A/B.Com./ B.Sc./B.Tech./M.B.B.S./ Shastri/L.L.B./BVSc……….)		
7	**अंकपत्र–** अधिस्नातक (M.A/M.Com/M.Sc./M.Tech./MS/MD/Acharya/ L.L.M.…...)		
8	**उपाधि / प्रमाणपत्र–** (M.A/M.Com/M.Sc./M.Tech./MS/MD/Acharya/L.L.M............................)		
9	**अनुभव प्रमाणपत्र –**		
10	**अन्य प्रमाणपत्र –**		
11			
12			
13			
14			
15			

कार्यालय टिप्पणी :–

आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया / निम्न कमी पाई गई...

....

हस्ताक्षर

शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र :– **प्रपत्र–3**

(आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ / हो रहा है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र श्री.. निवासी..जो कि .... पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक ....तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता..के अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम / परीक्षा (प्रति संलग्न) में सम्मिलित हो चुका है।

आवेदक के हस्ताक्षर **संस्था प्रधान / राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर**

—: अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट :—

प्रपत्र—4

	संबद्ध सूचना	अभ्यर्थी संबद्ध कॉलम में टिक करें		कार्यालय हेतु
1. शैक्षणिक योग्यता				
i	अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न, किन्तु समकक्ष	
ii	अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है?	आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त	आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त	
iii	यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था, तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था?	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं	
iv	क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है? (साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की प्रथम तिथि से पूर्व)	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं	
v	केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है?	साक्षात्कार की प्रथम तिथि से पूर्व उत्तीर्ण	साक्षात्कार की प्रथम तिथि से पूर्व उत्तीर्ण नहीं	
2. श्रेणी / वर्ग				
i	अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेशपत्र पर अंकित अपनी **श्रेणी** में ही है या उससे भिन्न **श्रेणी** में ?	उसी **श्रेणी** में	भिन्न **श्रेणी** में	
ii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी **आरक्षित श्रेणी** में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था?	आवेदन की तिथि से पूर्व	आवेदन की तिथि के पश्चात्	
iii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या उसने राजस्थान का **मूल निवासी** होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	राजस्थान का मूल निवासी है	राजस्थान का मूल निवासी नहीं है	
iv	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने **मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी** में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	हाँ	नहीं	
3. अनुभव				
i	यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त	शैक्षणिक योग्यता से पूर्व	
ii	अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त	आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व	
iii	अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न, किन्तु समकक्ष	

4. आयु		
i	अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु	वर्ष ....माह .... दिन ....
ii	विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा	न्यूनतम.........................अधिकतम ....
iii	अभ्यर्थी की श्रेणी	

आवेदक के हस्ताक्षर

परिनिरीक्षा टिप्पणी (कार्यालय उपयोग हेतु)	
विस्तृत आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	कार्यालय में विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि
आवेदक की श्रेणी व उपश्रेणी	आवेदक का मेरिट क्रमांक

क्र. सं.	विवरण	हां	नहीं
1	क्या आवेदन–पत्र स्वहस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है?		
2	क्या हस्ताक्षरित दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं?		
3	क्या आवेदक भरी गई श्रेणी (वर्ग) हेतु पात्र है?		
4	क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है?		
5	क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है?		
6	अभ्यर्थी की आयु गणना		
7	क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है?		

	वर्ष	माह	दिन
विज्ञापन/शुद्धि पत्र अनुसार निर्धारित आयु गणना दिनांक			
अभ्यर्थी की जन्म दिनांक			
अभ्यर्थी की आयु			

8. आयु सीमा में छूट चाहने का कारणः– ....

अभिशंसा :–

9. आवेदक को स्पष्ट पात्र माना जावे :– **हाँ / नहीं**

10. आवेदक सशर्त (Conditional)/अस्पष्ट पात्र (Provisional)/अपात्र (Reject) माना जावे ....

....

....

हस्ताक्षर

(जांचकर्ता का नाम, पदनाम व दिनांक)

ATTESTATION FORM

(See DOP(A-Gr.-II) Circular No. F-1(5)DOP/A-2/17 Date. 15.05.201

(This format will be used for verification by Police Department)

(Please write in block capital letters)

"Warning"

Affix Passport size (3.5cms. x 5cms.) Approx. Copy of recent photograph Singature (Must be appear on half on paper & half on Photo)

1. The furnishing of false information or suppression of any the government factual information in the attestation form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government.
2. If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which, it will be deemed to be a suppression of factual information.
3. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the Attestation Form, comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.

Name of the Examination:-…………………………………………………………………..					
1.	**Name in full (in block capital letters) with aliases, if any place indicates, if you have added or dropped in any stage, any part of your name of surname**				
	Full Name				
	Roll No.		Merit No.		Mobile No. …………………………….
2.	**Present Address in full (i.e. House No., Lane/Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)**				
	District:			PIN:	
3. (a)	**Permanent Address in full (i.e. House No., Lane/Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)**				
3.(b)			District:		PIN:
	If originally a resident of Pakistan/Bangladesh (erstwhile East Pakistan), the address in that country and the date of migration to Indian Union.				
4.	**Particulars of places (with period of residence) where you have resided for more than one year during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan), particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given:**				
	From	To	Residential Address (in full i.e. House No., Lane/Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)		

5.	**Family Details**						
	Relation	Name (in full & aliases if any)	Nationality (by Birth & or by Domicile)	Place of Birth	Occupation (if employed give designation & official address)	Present postal address (if dead, give last address)	Permanent Address
	1- Father						
	2- Mother						
	3- Wife / Husband						
	4- Brother (s)						
	5- Sister (s)						

5(a)	**Information to be furnished about sons and / or daughters in case they are studying/living in a foreign country:**				
	Name	Nationality (by Birth and or by Domicile)	Place of Birth	Country in which studying/living with Full Address	Date from which Studying/Living in the country mentioned in the previous column

	Own Details	
6.	Last 04 digit of Aadhar Card No.	
7.	Nationality	
8.	(a) Date of Birth	Date: / Month: / Year:
	(b) Age as on Advertised norms (cut-off date)	…………. Years ………. Months …………. Days
	(c) Age at matriculation	…………. Years ………. Months …………. Days
9.	(a) Place of birth, District and State in which you were born	
	(b) District and State to which you belong (Bonafide resident)	
	(c) District and State to which your father originally belonged	
10.	(a) Your Religion	
	(b) Are you a member of a **Scheduled Caste / Scheduled Tribe**? Answer 'Yes' or 'No' if the answer is 'Yes' state the name thereof.	

11.	**Education Qualification showing places of education with years in School and College since 15 years of age.**			
	Name of School / College with full address	Date of entering	Date of leaving	Examination passed
	1- Name: Address: District: Pin:			
	2- Name: Address: District: Pin:			
	3- Name: Address: District: Pin:			

	4- Name: Address: District: Pin:			
	5- Name: Address: District: Pin:			

12(a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central Govt. or State Govt. or a quasi-Govt. body or an Autonomous body or a public undertaking or a private firm or institution?

Period		Designation of Post held or description of work.	Full address of the Office, Firm, or Institution.	Reasons for leaving previous service
From	To			

(b) If the previous employment was under the Govt. of India / State Govt. / an undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Govt. an Autonomous Body/University/Local Body.
If you had left service on giving notice as provided in relevant rules or were any disciplinary proceeding framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent date before your service actually terminated?, give details:-
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

13(i)		
	(a) Has an F.I.R. ever been registered against you? (Yes / No)	
	(b) Have you ever been arrested? (Yes / No)	
	(c) Have you ever been prosecuted? (Yes / No)	
	(d) Have you ever been kept under detention? (Yes / No)	
	(e) Have you ever been bound down? (Yes / No)	
	(f) Have you ever been fined by a Court of Law? (Yes / No)	
	(g) Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence? (Yes / No)	
	(h) Have you ever been debarred from any Examination or restricted by any University or any other educational authority/institution? (Yes / No)	
	(i) Have you ever been debarred/disqualified by any Public Service Commission/Staff Selection Commission for any of its examination/selection? (Yes / No)	
	(j) Is any case pending against you in any Court of Law at the time of filling up this Attestation Form? (Yes/No)	
	(k) Is any case pending against you in any University or any other educational authority/institution at the time of filling up this Attestation Form? (Yes / No)	
	(l)Whether discharged/expelled/withdrawn from any training/institution under the Government of otherwise? (Yes / No)	

(ii) If the answer to any of the above-mentioned question Para 13(i)(a) to (l) is "Yes" (give full particulars of the case (FIR No. & Year, Act & Section, Name of Police Thana & District, Name of the Court & Status of the Case like as Cognizance/charge framed)/ arrest/ detention/ fine/ conviction/ punishment etc. and/or the nature of the case pending in the Court/University/Educational Authority, etc. at the time of filling up this Attestation Form.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

NOTE: (i) Please also see the **"Warning"** at the top of this Attestation Form.
(ii) Specific answer to each of the questions should be given by striking out "Yes" or "No" as the case may be.

14.	Name of two responsible persons of your locality or two references to whom/you are known. (With their full address, profession & Mob.No.)
	1.
	2.

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date……………………………… ………………………

Place……………………………... Signature of Candidate

IDENTITY CERTIFICATE
(CERTIFICATE TO BE SIGNED BY ANY OF THE FOLLOWINGS)

Gazetted Officer of Central Government or State Govt; / Members of Parliament or State Legislative belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardians ordinarily resident; / Sub-Divisional Magistrate/Officers; / Tehsildars or Naib Tehsildars authorized to exercise magisterial power; / Principal/Headmaster of the recognized School/College/Institution where the candidate studied last; / Block Development Officer;

Certified that I have known Shri/Smt./Kumar .... Son/Daughter/Wife of Shri .... for the last .... years/months and that to the best of knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

Place: Signature

Date: Designation or Status & Address

TO BE FILLED BY OFFICE

1- Name, Designation and Full Address of the appointment authority.
2- Post for which the candidate is being considered.